कृषि एवं खाद्य

8
अध्याय

कृषि नीति पिछले दशकों से ही खाद्यान्न उत्पादन में स्व-पर्याप्तता तथा आत्मनिर्भरता पर फोकस रही है। ऐसा कृषि का जीवन जीने के तरीके और लोगों की सतत् एकमात्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण आजीविका के रूप में होने की वजह से है। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की गयी है। खाद्यान्न उत्पादन जो 1951-52 में मात्र 52 मिलियन टन था, वह 2010-11 में बढ़कर 244.78 मिलियन टन हो गया। वास्तविक स.घ.उ. में कृषि की भागीदारी उद्योग तथा सेवाओं के सापेक्ष अपेक्षाकृत कम विकास को देखते हुए घटी है। तथापि, चिन्ता का जो विषय है, वह कृषि विकास के आयोजन लक्ष्यों से अक्सर नीचे रहने की वजह से है। 1960-61 से 2010-11 की अवधि के दौरान, खाद्यान्न उत्पादन लगभग 2 प्रतिशत की मिश्र वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) पर बढ़ा है। वास्तव में, नौवीं तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना ने कृषि क्षेत्र विकास में क्रमश: 2.44 प्रतिशत तथा 2.30 प्रतिशत की विकास दर देखी गयी है जो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 4.72 प्रतिशत के मुकाबले है। मौजूदा पंचवर्षीय योजना में, कृषि विकास 4 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 3.28 प्रतिशत अनुमानित है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में प्रयासों को दुगुना कर 4.0 प्रतिशत औसत विकास दर सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। यदि इससे ज्यादा प्राप्त न भी हो तो सम्पूर्ण क्षेत्र में वर्धित उत्पादकता उपलब्धियों और प्रौद्योगिकी प्रसार के बिना यह उच्च विकास दर व्यवहार्य नहीं होगी और 1.2 बिलियन लोगों की खाद्यान्न की बढ़ती मांग को देखते हुए इसके वृहद् आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ेगा। न्यूनतम कृषि विकास प्राप्त करना समावेशी विकास, गरीबी स्तरों को घटाना ग्रामीण क्षेत्र का विकास तथा कृषि आय बढ़ाने की पूर्व शर्त है।

8.2 सम्बद्ध गतिविधियों सहित कृषि का 2010-11 में 2004-05 की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (सघउ) को 14.5 प्रतिशत का योगदान है जो 2009-10 में 14.7 प्रतिशत की तुलना में है। सघउ में कृषि की भागीदारी में घटती प्रवृत्ति के बावजूद, यह आय वितरण परिप्रेक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका देश में जनगणना 2001 के अनुसार लगभग 58 प्रतिशत योगदान है। इसलिए कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास समावेशी विकास की 'आवश्यक शर्त' बनी रहेगी, संघटन संदर्भ में, 14.5 प्रतिशत के कुल भाग में से, जो कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों का 2010-11 में सघउ में योगदान था, उसमें अकेले कृषि का योगदान 12.3 प्रतिशत था, उसके बाद वानिकी तथा लौगिंग का 1.4 प्रतिशत और मत्स्यिकी का 0.7 प्रतिशत था (सारणी 8.1)। कृषि में यथेष्ठ विकास पौषणिक खाद्यान्न कीमतों को नियंत्रित करने तथा समग्र मुद्रास्फीति पर ध्यान केन्द्रित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

मौजूदा पंचवर्षीय योजना (2007-2012) के दौरान कार्य क्षेत्र का निष्पादन

8.3 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अर्थात् 2007-08 से 2010-11 के पहले चार वर्षों के दौरान कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में औसत वार्षिक विकास 3.5 प्रतिशत है जो 4 प्रतिशत के त्वरित विकास दर की तुलना में है। वर्ष 2009-10 के दौरान देश के अधिकांश भागों में भयंकर सूखा पड़ने तथा 2010-11 में कुछ राज्यों जैसे बिहार, झारखण्ड, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में सूखा/कम वर्षा की वजह से कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों ने ग्यारहवीं योजना में लक्ष्य की अपेक्षा कुछ कम औसत विकास दर्ज किया। तथापि, सरकार द्वारा समय पर तथा सुधारात्मक उपायों की वजह से कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला और कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में विकास 2010-11 में 7.0 प्रतिशत तक पहुंच गया जो पिछले छह वर्षों के दौरान

सारणी 8.1 : कृषि क्षेत्रः मुख्य संकेतक

(प्रतिशत)

क्र. सं.	मद	2009-10@	2010-11*	2011-12 **
1.	सघउ-हिस्सा तथा वृद्धि (2004-05 कीमतों पर)			
	कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सघउ में वृद्धि	1.0	7.0	2.5
	सघउ में हिस्सा-कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र	14.7	14.5	13.9
	कृषि	12.4	12.3	
	वानिकी तथा वृक्ष कटाई	1.5	1.4	
	मात्स्यिकी	0.8	0.7	
2.	देश में कुल सकल पूंजी निर्माण में हिस्सा (2004-05 कीमतों पर)			
	कुल सकल पूंजी निर्माण में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों का हिस्सा	7.1	7.2	
	कृषि	6.6	6.6	
	वानिकी तथा वृक्ष कटाई	0.1	0.1	
	मात्स्यिकी	0.5	0.5	
3.	2001 की जनगणना के अनुसार कुल कामगारों के भाग के रूप में कृषि क्षेत्र में रोजगार	58.2		

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय तथा कृषि और सहकारिता विभाग

टिप्पणीः @ अनन्तिम अनुमान *अग्रिम अनुमान **त्वरित अनुमान

प्राप्त सर्वाधिक विकास दर थी, 2011-12 में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में 2.5 प्रतिशत की विकास दर प्राप्त करना अनुमानित है। तथापि, यह इस तथ्य की वजह से चिन्ता का कारण है कि कृषि विकास अभी भी प्रकृति की अनिश्चितताओं की वजह से नीचे-ऊपर रहा है।

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण

8.4 सघउ के संबंध में कृषि द्वारा मूल्य वर्धित अनुपात के रूप में, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) 2004-05 की कीमतों पर 2004-05 में 13.5 प्रतिशत से बढ़कर 2010-11 में 20.1 प्रतिशत हो गया (सारणी 8.2)। यह एक सकारात्मक प्रवृत्ति है। तथापि, कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों का जीसीएफ अर्थव्यवस्था के समग्र जीसीएफ में 2004-05 कीमतों पर इसी अवधि के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। (चित्र 8.1)।

पूंजी निर्माण

फसल उत्पादन

8.5 2004-05 से 2008-09 निरन्तर पांच वर्षों में खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति दर्ज की है। तथापि, यह देश के विभिन्न भागों में भयंकर सूखे की दशाओं के कारण 2009-10

सारणी 8.2 : कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों में जीसीएफ (आंकड़े 2004-05 की कीमतों पर करोड़ रुपए)

वर्ष	कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियां		कृषि तथा कुल सम्बद्ध गतिविधियां में जीसीएफ/सघउ
	जीसीएफ	सघउ	
2004-05	76096	565426	13.5
2005-06	86604	594487	14.6
2006-07	92057	619190	14.9
2007-08	105741	655080	16.1
2008-09	127127	655689	19.4
2009-10	131139	662509	19.8
2010-11	142254	709103	20.1

स्रोतः केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

चित्र 8.1 **कुल सकल पूंजी निर्माण (जीसीएफ) में कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र के सकल पूंजी निर्माण की भागीदारी (2004–05 कीमतों पर)**

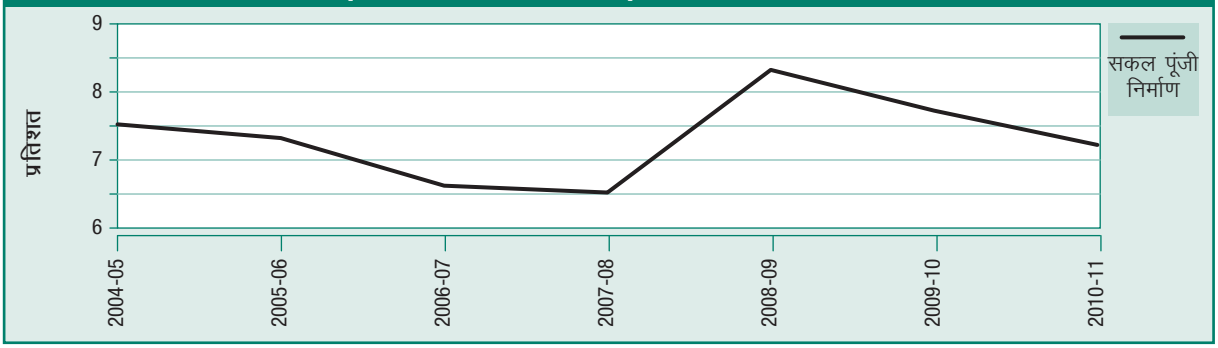

में घटकर 218.11 मिलियन टन हो गया। बाद में 2010–11 के वर्ष में सामान्य माानसून से खाद्यान्न उत्पादन 244.78 मिलियन टन के अब तक के सर्वाधिक रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया। दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2011–12 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के 250.42 मिलियन टन होने का अनुमान है, यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मुख्यत: चावल और गेहूं उत्पादन में वृद्धि के कारण है (सारणी 8.3)।

क्षेत्र, उत्पादन की विकास दर तथा मुख्य कृषि फसलों की उपज

8.6 कृषि फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी प्रति एकड़ और उपज पर निर्भर करती है। कृषि भूमि के विस्तार की स्पष्ट सीमाओं को देखते हुए, दीर्घावधि विकास मुख्यत: उपज में सुधार पर निर्भर करता है। क्षेत्र, उत्पादन में प्रवृत्तियों का विश्लेषण तथा विभिन्न फसलों का उपज सूचकांक 1980–81 से 2011–12 (आधार त्रैवार्षिक समाप्त (टीई) 1981–82 = 100) के दौरान पुन: एक मिश्रित तस्वीर सूचित करता है। (सारणी 8.4)।

8.7 **चावल तथा गेहूं:** अस्सी के दशक के दौरान, चावल के अन्तर्गत क्षेत्र में बढ़ोतरी 0.41 प्रतिशत पर सामान्य थी, तथापि, उत्पादन तथा उपज में यह वृद्धि 3 प्रतिशत से अधिक थी, 2000–01 से 2011–12 के दौरान परिस्थिति में बदलाव आया जबकि क्षेत्र में 0.04 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी और उत्पादन तथा उपज में बढ़ोतरी क्रमश: 1.72 प्रतिशत तथा 1. 68 प्रतिशत थी। गेहूं में भी अस्सी के दशक के दौरान, क्षेत्र में वृद्धि 0.46 प्रतिशत पर मामूली थी लेकिन उत्पादन तथा उपज में यह बढ़ोतरी 3 प्रतिशत से ऊपर थी। 2000–01 से 2011–12 के दौरान, गेहूं के क्षेत्र में वृद्धि यद्यपि 1.22 प्रतिशत थी जबकि उत्पादन तथा उपज में यह क्रमश: 2.37 प्रतिशत तथा 1.14 प्रतिशत थी। यह स्पष्टत: संकेत देता है कि इन दो फसलों में उपज स्तर बदलता रहा है और उत्पादन तथा उत्पादकता में बढ़ोतरी करने हेतु नए सिरे से अनुसंधान सम्बन्धी प्रयासों को किए जाने की जरूरत है (चित्र 8.2 और 8.3)। इन फसलों में अनुसंधान तथा विकास में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है।

सारणी 8.3 : कृषि उत्पादन (खरीफ) (मिलियन टन)

उत्पाद	2010-2011	2011-2012 (दूसरा अग्रिम अनुमान)	प्रतिशत वृद्धि
चावल	95.98	102.75	7.1
मोटा अनाज	43.68	42.08	-3.7
दालें	18.24	17.28	-5.3
तिलहन	32.48	30.53	-6.0
गन्ना	342.38	347.87	1.6
कपास (प्रति 170 कि.ग्रा. गांठें)	33.00	34.09	3.3
जूट तथा मेस्टा (प्रति 180 कि.ग्रा. गांठें)	10.60	11.61	9.3

स्रोत: कृषि तथा सहकारिता विभाग

सारणी 8.4 : वर्ष 1980-1990, 1990-2000 तथा 2000-2011 के दौरान मुख्य फसलों की क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज सूचकांक भी सम्मिश्र विकास दर (आधार : त्रैमासिक 1981-82 = 100)

	1980-81 से 1989-90			1990-91 से 1999-2000			2000-01 से 2011-12*		
	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज	क्षेत्र	उत्पादन	उपज
चावल	0.41	3.62	3.19	0.68	2.02	1.34	0.04	1.72	1.68
गेहूं	0.46	3.57	3.10	1.72	3.57	1.83	1.22	2.37	1.14
मोटा अनाज	-1.34	0.40	1.62	-2.12	-0.02	1.82	-0.75	3.01	4.39
कुल दालें	-0.09	1.52	1.61	-0.60	0.59	0.93	1.70	3.47	1.91
गन्ना	1.44	2.70	1.24	-0.07	2.73	1.05	1.37	1.96	0.58
कुल तिलहन	1.51	5.20	2.43	-0.86	1.63	1.15	2.08	4.45	3.39
जोड़ खाद्यान्न**	-0.23	2.85	2.74	-0.07	2.02	1.52	0.43	2.32	2.91

स्रोत: कृषि तथा सहकारिता विभाग

टिप्पणी : 03 फरवरी, 2012 को जारी दूसरे अग्रिम अनुमानों (अ०अनु०) पर आधारित विकास दरें हैं; कुल तिलहनों में नौ तिलहन; कपास बीज तथा नारियल शामिल हैं।

8.8 **मोटा अनाज:** 1980-81 से 2011-12 के दौरान कुल मोटे अनाज के क्षेत्र सूचकांक में विकास दर इस अवधि के दौरान नकारात्मक थी जो या तो अन्य फसलों अथवा सापेक्ष रूप से बंजर पड़े शुष्क क्षेत्र की तरफ जाने का संकेत देती है। तथापि, अस्सी के दशक में उत्पादन तथा उपज में बढ़ोतरी जो क्रमश: 0.40 प्रतिशत तथा 1.62 प्रतिशत थी, में 2000-01 से 2011-12 की अवधि में महत्वपूर्ण सुधार होकर यह क्रमश: 3.01 प्रतिशत और 4.39 प्रतिशत हो गयी, यह बढ़ोतरी मुख्यत: मक्का तथा बाजरा के उत्पादन तथा उपज में बढ़ोतरी के कारण हुई। यह पोषक खाद्य के रूप में मोटा अनाज भी लोकप्रियता भी प्रदर्शित करता है (चित्र 8.4)।

8.9 **दाल:** भारत में दालें बहुसंख्यक आबादी के लिए प्रोटीन का एक मुख्य स्रोत हैं। देश में चना और तुर कुल दालों के उत्पादन में प्रमुख योगदान देते हैं। अस्सी के दशक के दौरान, दालों के अंतर्गत कुल क्षेत्र में नकारात्मक वृद्धि देखी गयी और इसके उत्पादन तथा उपज में वृद्धि क्रमश: 1.52 प्रतिशत तथा 1.61 प्रतिशत थी। 2000-2001 से 2011-12 के दौरान, उत्पादन तथा उपज में वृद्धि क्रमश: 1.70 प्रतिशत, 3.47 प्रतिशत तथा

चित्र 8.2 चावल के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज का सूचकांक

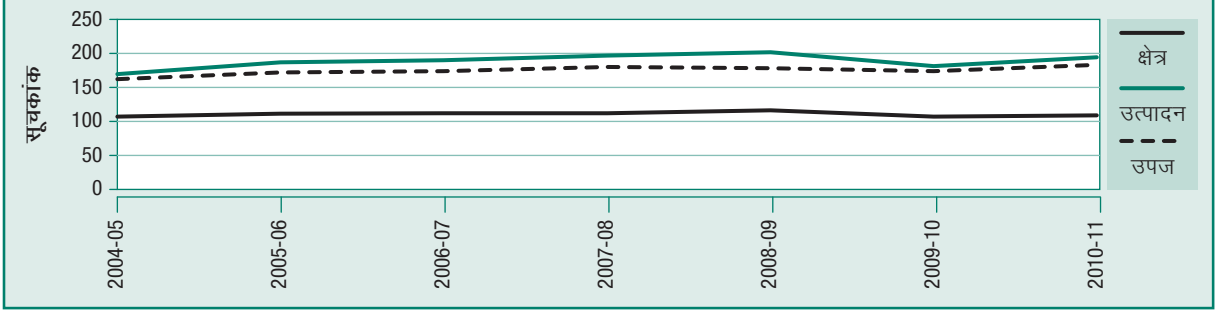

चित्र 8.3 गेहूं के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज का सूचकांक

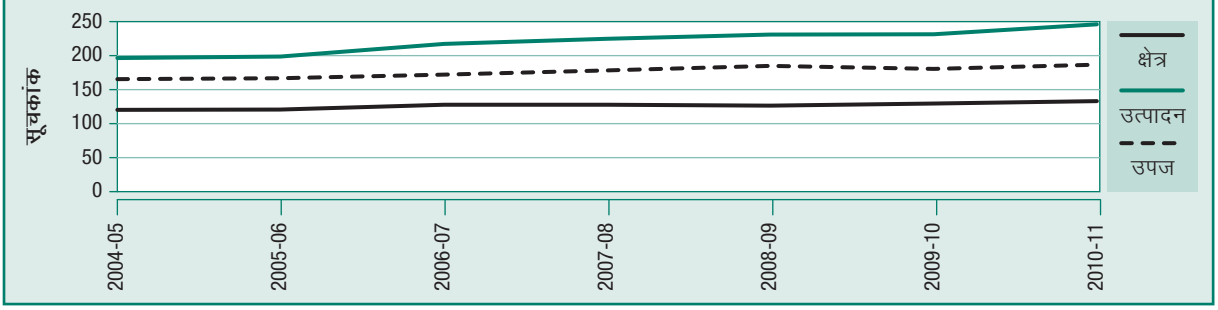

चित्र 8.4 मोटे अनाज के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज का सूचकांक

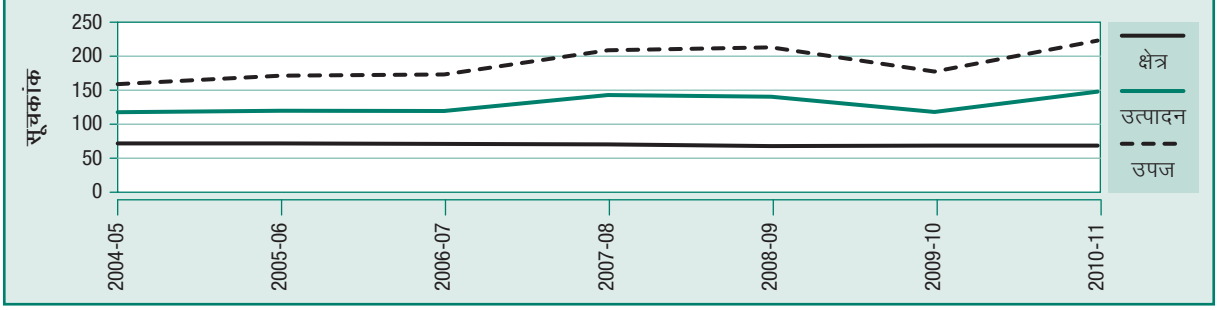

1.91 प्रतिशत थी। 2000-01 से 2011-12 के दौरान क्षेत्र तथा उत्पादन में बढ़ोतरी मुख्यत: चने की वजह से हुई। इस जिंस की बढ़ती मांग के अनुरूप दावों के उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी खोज आवश्यक है। (चित्र 8.5)

8.10 **गन्ना:** 2000-01 से 2011-12 के दौरान गन्ने के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज की यौगिक वृद्धि दर अस्सी के दशक की तुलना में घटी। इस अवधि के दौरान उपज में गिरावट उत्पादन की वृद्धि दर में सापेक्ष रूप से उच्च गिरावट की वजह से है। इस फसल की उपज दर में वृद्धि हेतु सामूहिक प्रयासों की जरूरत है ताकि उत्पादन में उतार-चढ़ाव और चीनी की उच्च कीमतों से बचा जा सके। (चित्र 8.6) 2011-12 के चीनी मौसम में चीनी उत्पादन के 246.65 लाख टन होना अनुमानित है जबकि अनुमानित मांग लगभग 220 लाख टन है।

8.11 **तिलहन:** 2000-01 से 2011-12 के दौरान तिलहनों के अन्तर्गत उपज तथा क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि सूचकांकों में अस्सी के दशक की तुलना में सुधार देखा गया तथापि, भारत अभी भी खाद्य तेलों की अपनी आवश्यकताओं के एक बड़े भाग की पूर्ति आयात से करता है। इस फसल में आत्मनिर्भरता का विवेकसम्मत स्तर का सुनिश्चय करने हेतु मौजूदा वृद्धि दर को बनाए रखने की आवश्यकता है। (चित्र 8.7) 2011-12 के दौरान तिलहनों का उत्पादन और सभी घरेलू स्रोतों (प्राथमिक) से खाद्य तेल की निवल उपलब्धता क्रमश: 305.29 लाख टन तथा 72.69 लाख टन अनुमानित है।

खाद्य उपभोग की वर्धित आवश्यकताएं

8.12 जनसंख्या की विकास दर को देखते हुए, खाद्य की मांग में बढ़ोतरी एक स्वाभावित सहवर्ती क्रिया है। इसके अलावा, आय

चित्र 8.5 कुल दालों के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज का सूचकांक

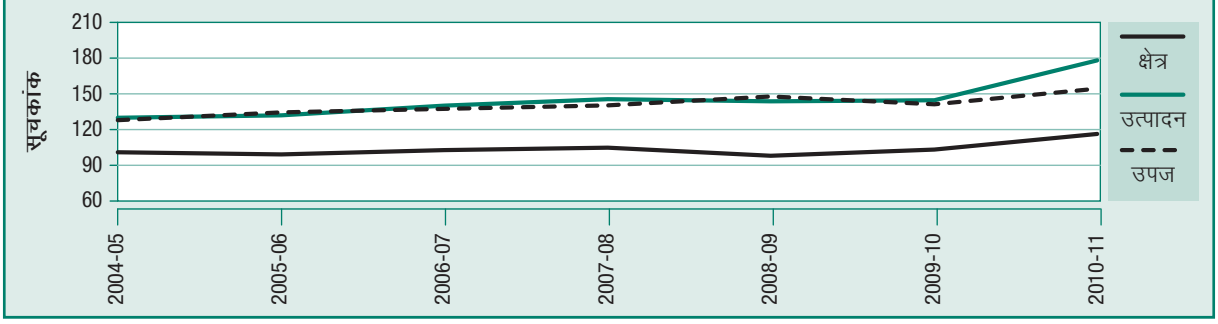

चित्र 8.6 गन्ने के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज का सूचकांक

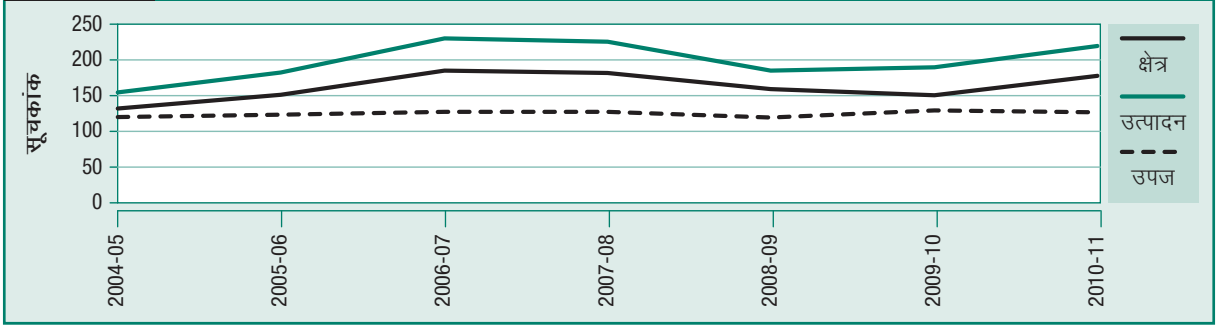

चित्र 8.7 तिलहन के क्षेत्र, उत्पादन तथा उपज का सूचकांक

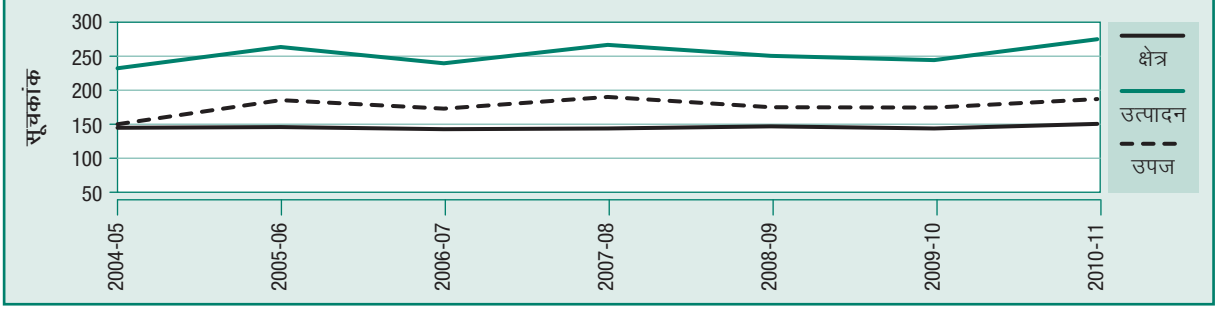

स्तरों में बढ़ोतरी तथा खाद में परिवर्तन और लोगों की प्राथमिकताओं ने भी विभिन्न खाद्य उत्पादों की मांग में बढ़ोतरी में योगदान दिया है। खाद्य कीमतों में हाल में आयी तेजी मुख्यत: फल और सब्जियों, दुग्ध, मांस, कुक्कुट तथा मछली जैसे मदों की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से है जो प्राथमिक खाद्य मदों के थोक मूल्य सूचकांक समूह का लगभग 70 प्रतिशत है। 1987-88 से 2009-10 की अवधि के दौरान देश में खाद्य उपभोग व्यय की जांच से प्रकट होता है कि ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों, अंडे, मछली, मांस तथा सब्जियों के सम्बन्ध में व्यय में परिवर्तन हुआ है। जबकि कुल खाद्य समूह में अनाज के उपभोग में भी कमी आयी है (सारणी 8.5)। कुछ अल्पावधि, मध्यावधि तथा दीर्घावधि उपाय जो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि खाद्य मदों की उच्च मांग की पूर्ति हो सके, कृषि क्षेत्र में उच्च उत्पादन तथा उत्पादकता प्राप्त करने के लिए किए जा सकते हैं, और उनमें आपूर्ति प्रतिक्रिया, भण्डारण तथा विपणन संबंधी उपायों को शामिल किया जा सकता है।

2011-12 में खाद्यान्न का क्षेत्र कवरेज

8.13 खरीफ 2010-11 की तुलना में 2011-12 (दूसरा असीम अनुमान) के दौरान खाद्यान्न के अन्तर्गत समग्र क्षेत्र में गिरावट देखी गयी। 2011-12 के दौरान खाद्य अन्तर्गत क्षेत्र कवरेज 1254.92 लाख हेक्टेयर था जबकि पिछले वर्ष यह 1267.65 लाख हेक्टेयर था। खाद्यान्न के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तथा गुजरात में ज्वार, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात में बाजरा तथा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में दालों के अन्तर्गत क्षेत्र में गिरावट की वजह से रही है। तथापि मोटा अनाज तथा तिलहनों के अन्तर्गत क्षेत्र में भी पिछले वर्ष की तुलना में कमी आयी है। 2011-12 के दौरान चावल के अन्तर्गत क्षेत्र कवरेज लगभग 444.06 लाख हेक्टेयर के आसपास है जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 15.44 लाख हेक्टेयर अधिक है। मौजूदा वर्ष के दौरान गन्ने के अन्तर्गत क्षेत्र कवरेज में मामूली सुधार होकर यह 50.81 लाख हेक्टेयर हो गया जो पिछले वर्ष से तुलना करने से लगभग 1.96 लाख हेक्टेयर अधिक है। साथ ही कपास के अन्तर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होकर यह 121.78 लाख हेक्टेयर हो गया जबकि 2010-11 के दौरान यह 112.35 लाख हेक्टेयर था।

रबर

8.14 भारत 2010 में प्राकृतिक रबर के विश्व उत्पादन में 8.2 प्रतिशत हिस्से के साथ चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्राकृतिक रबर उत्पादन के लिए बेहतर भौगोलिक अनुकूलता वाला क्षेत्र न होने के बावजूद, भारत ने मुख्य प्राकृतिक रबर उत्पादन देशों में उच्चतम उत्पादकता के रिकॉर्ड को बनाए

सारणी 8.5 : कुल खाद्य व्यय के सम्बन्ध में व्यय की मदवार हिस्सेदारी

	ग्रामीण		शहरी	
	1987-1988	2009-2010	1987-1988	2009-2010
दालें	41.1	29.1	26.6	22.4
उत्पाद	6.3	6.9	6.0	6.6
दूध एवं उत्पाद	13.4	16.0	16.8	19.2
अंडा, मछली ओर मीट	5.2	6.5	6.4	6.6
सब्जिया	8.1	11.6	9.4	10.6
चीनी	4.5	4.5	4.3	3.7
कुल खाद्य	100	100	100	100

स्रोत : भारत में 2009-10 में घरेलू उपभोग व्यय के मुख्य संकेतक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) 66वां दौर।

बॉक्स 8.1 आपूर्ति पक्ष अड़चनों के निवारण के विकल्प

- सामान्य घरेलू फूडबास्केट में संघटनात्मक परिवर्तन और उपभोग मांग पर इसके प्रभाव को देखते हुए खाद्य मदों में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित आपूर्ति प्रतिक्रिया अत्यावश्यक है।
- किसानों को उर्वरक और कीटनाशक उपयोग तथा मृदा विश्लेषण के आधार पर वैकल्पिक फसल पैटर्न से संबंधित विस्तार कार्यक्रम और दिशा-निर्देश दिए जा सकेंगे और उन्हें तेज किया जा सकेगा।
- कार्ययोजना के रूप में, सापेक्ष रूप में कृषि जिंसों का नियमित आयात परिमाण पर ऊपरी उच्चतम सीमा सहित अपेक्षतया कम मात्राओं में किए जाने पर विचार किया जा सकेगा। ऊपरी उच्चतम सीमा का निर्धारण वार्षिक रूप में सापेक्ष रूप में अग्रिम तौर पर उत्पादन तथा उपभोक्ता आवश्यकताओं के सन्दर्भ में सम्भाव्य घरेलू स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद की जा सकती है।
- राज्यों/रीजन/क्षेत्रों/में विशिष्ट फसलों हेतु विशेष बाजारों की स्थापना से उपभोक्ताओं को उत्कृष्ट वस्तुओं जिसमें की आपूर्ति आसान हो जाएगी।
- मंडी का संचालन एक चिन्तनीय विषय है। मंडियों में कई व्यापारियों को एजेंट तौर पर प्रवेश की अनुमति दी जाए। जो कोई तथा कृषि उत्पाद विपणन समिमि (एपीएससी) के बाहर अथवा इसके फार्म गेट पर बेहतर मूल्य प्राप्त करता है उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाए। अन्तरराज्यीय व्यापार को प्रोत्साहन देने हेतु किसी जिंस के सम्बन्ध में जिस हेतु बाजार शुल्क का एक बार भुगतान कर दिया गया है, उसे अन्य बाजारों में उत्तरवर्ती बाजार शुल्क के अधीन न लिया जाए और इसमें अन्य राज्यों में लेन-देन शामिल है। केवल प्रयोक्ता प्रभारों का सेवाओं से सम्बद्ध किया जाए बशर्ते कि इसे उत्तरवर्ती लेन-देनों में ले लगाया जाए।
- बिगड़ने वाले जिंसों को एपीएमसी अधिनियम के दायरे से बाहर रखा जाए। सब्जियों तथा फलों में हुई मुद्रास्फीति से हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर कुछ कमियां देखी गयीं। सरकार शासित मंडियां कभी-कभी खुदरा व्यापारियों को किसानों के उद्देश्यों में एकीकृत होने से रोकती हैं। इसे देखते हुए, बिगड़ने वाले जिंसो को इस विनियम से छूट प्रदान की जाए।
- कृषि उत्पाद की कटाई पश्च अवसंरचना में महत्वपूर्ण निवेश अन्तरों पर विचार करते हुए कृषि में संगठित व्यापार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा मल्टी ब्रांड खुदरा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) जो एक बारगी कार्यान्वित है, को प्रभावी रूप से उठाया जा सकेगा।
- सरकार को खाद्यान्नों के लिए आधुनिक भण्डारण सुविधाओं का सृजन करना चाहिए।

रखा। 2011-12 में प्राकृतिक रबर उत्पादन 9.02 लाख टन अनुमानित था जो 2010-11 की तुलना में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि है। भारत, 2010 में विश्व उपभोग में 8.8 प्रतिशत हिस्से के साथ प्राकृतिक रबर का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बनकर उभरा है। 2011-12 में प्राकृतिक रबर उत्पादन 9.77 लाख टन अनुमानित है जो विगत वर्ष की तुलना में 3.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्शाता है।

कॉफी

8.15 भारत कॉफी उत्पादन में ब्राजील, वियतनाम, कोलम्बिया, इंडोनेशिया और इथोपिया के बाद छठे स्थान पर है। कॉफी के अन्तर्गत वैश्विक क्षेत्र में 2 प्रतिशत की भागीदारी के साथ भारत विश्व कॉफी उत्पादन तथा अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में लगभग 4 प्रतिशत की भागीदारी रखता है। कॉफी लगभग 4. 0 लाख हेक्टेयर में उगाई जाती है जो मुख्यत: दक्षिणी राज्यों कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक सीमित है। वर्तमान में देश में खपत 1 लाख टन से अधिक है और भारत लगभग 3 लाख टन कॉफी पैदा करता है जिसमें अरबिका (32 प्रतिशत) तथा रोबस्टा (68 प्रतिशत) कॉफी शामिल है। देश में कॉफी का उत्पादन 2011-12 के दौरान 3.02 लाख टन था जो 2010-11 उत्पादन की तुलना में 6.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी दिखाता है।

8.16 पिछले दो दशकों में कॉफी उत्पादन को आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय विकास तथा वानिकी है। भारतीय कॉफी मुख्यत: निर्यातोन्मुख जिंस है जिसका लगभग 70 प्रतिशत उत्पादन निर्यात किया जाता है और शेष भाग का उपभोग घरेलू बाजार में होता है।

चाय

8.17 भारत काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता है। चाय भारत के 16 राज्यों में उगाई होती है। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल कुल चाय उत्पादन का लगभग 95 प्रतिशत भाग उत्पन्न करते है। वर्ष 2010-11 के दौरान भारत में चाय उत्पादन 2009-10 में प्राप्त 0.99 मिलियन टन की तुलना में 0.97 मिलियन टन अनुमानित है।

निर्यात तथा आयात

8.18 कृषि मदों के संबंध में भारत की व्यापारिक नीति खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चय तथा घरेलू उपलब्धता पर निर्भर रहते किसानों की आय बढ़ाने हेतु निर्यात बाजारों के निर्माण संबंधी दो उद्देश्यों से शासित है। सितम्बर 2011 में सरकार ने गेहूं, बासमती इतर चावल तथा कपास को मुक्त सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रखा है।

8.19 भारत विश्व में कृषि उत्पादों के 15 अग्रणी निर्यातकों में से है। विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रकाशित अन्तरराष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी 2011 के अनुसार भारत के कृषि निर्यात 23.2 बिलियन अमरीकी डालर है और यह 2010 में कृषि में विश्व व्यापार का 1.7 प्रतिशत है। दूसरी ओर, भारत का कृषि आयात 17.5 बिलियन अमरीकी डालर है जो 2010 में कृषि में विश्व व्यापार का 1.2 प्रतिशत हिस्सा है।

कृषि निविष्टियां

8.20 उपज में सुधार जो दीर्घावधि वृद्धि का मुख्य कारक है, प्रौद्योगिकी, गुणवत्तापूर्ण बीजों का उपयोग, उर्वरकों, कीटनाशकों, सूक्ष्म पोषक तत्वों और सिंचाई के उपयोग सहित कई कारकों पर निर्भर करता है। इनमें से प्रत्येक की उपज स्तर निर्धारण और उत्पादन स्तर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है।

बीज

8.21 उन्नत बीज कृषि उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निविष्टियों में से एक है। अन्य कृषि निविष्टियां जैसे उर्वरकों, कीटनाशकों और सिंचाई की प्रभावोत्पादकता बड़े स्तर पर इसके द्वारा निर्धारित होती है। बीज गुणवत्ता का योगदान अनुमानत: उत्पादकता का 20-25 प्रतिशत है। अत: यह महत्वपूर्ण है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2005-06 से, केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रकार के दखल देकर भिन्न-भिन्न फसलों की अवसंरचना और गुणवत्तापूर्ण बीजों की वर्धित उपलब्धता के बीच के अन्तर को पाटने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और वितरण हेतु 'अवसंरचना सुविधाओं का विकास और सशक्तिकरण' नामक केन्द्रीय-क्षेत्र योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य सभी फसलों को उच्च-उत्पादनकारी प्रमाणित/गुणवत्तापूर्ण बीजों को पर्याप्त मात्रा में उत्पादन सुनिश्चित करना और किसानों को वहनीय कीमतों पर उन्हें उपलब्ध कराना है। 1987.83 करोड़ रुपए की राशि (15 फरवरी, 2012 तक) योजना के विभिन्न घटकों के तहत सहायता अनुदान के रूप में जारी की गई है। यद्यपि इस योजना ने विगत पांच वर्षों में गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता को दुगुना करने में योगदान दिया है। तेजी से विकसित हो रहे बीज क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए बड़े परिवर्तन और उन्नयन तथा गुणवत्तापूर्ण बीजों के विस्तृत उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तद्नुसार, बारहवीं योजना अवधि में एक राष्ट्रीय बीज मिशन का प्रस्ताव किया गया है।

8.22 भारतीय किसानों को विदेशों में उपलब्ध सर्वोत्तम पौधरोपण सामग्री प्रदान करने के लिए 1988 में बीज विकास संबंधी नवीन नीति (एनपीएसडी) बनाई थी। इस नीति ने कुछ वर्षों में विभिन्न श्रेणियों के तहत बीज आयात को आसान बनाया है। यह नीति आयातकों द्वारा आन्तरिक परीक्षण के लिए खाद्यान्न, तिलहन, दलहन आदि को लघु मात्रा में प्रारम्भिक आयात की मंजूरी देती है। बहु-स्थानिक परीक्षण के सन्तोषजनक परिणाम आने पर आयातकों को भारी मात्रा में आयात की अनुमति दी जाती है। तदनन्तर, एनपीएसडी 1988 में विहित शर्तों के अधीन गेहूं और धान, मोटा अनाज, दालों, और तिलहनों के बीजों के आयात की अनुमति देकर संशोधन किया। एनपीएसडी में संशोधनों से बीजों के शीघ्र परीक्षण और विकास का वातावरण बन सका और उनसे समय से आयात भी आसान हुआ।

8.23 बीज क्षेत्र में हुए परिवर्तनों के प्रत्युत्तर में, बीज अधिनियम 1966 को निम्नलिखित के लिए एक उचित विधान से प्रतिस्थापित किया जाएगा (i) बीज उद्योग की वृद्धि के लिए समर्थ वातावरण का सृजन, (ii) बीज प्रतिस्थापन दर बढ़ाना (iii) बीजों के निर्यात को बढ़ाना और उपयोगी जनन-द्रव्य के आयात को प्रोत्साहन (iv) अनुसंधान और विकास के लिए विभिन्न विकास और वर्धित निवेश में फ्रंटियर साइंस अनुप्रयोग के लिए अनुकूल माहौल का सृजन। वर्तमान में विभिन्न प्रदेशों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इसमें सरकारी संशोधन के लिए विधेयक विचाराधीन है।

8.24 'बीज विकास' के लिए स्वत: रूट के तहत 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देने के लिए कृषि क्षेत्र की एफडीआई नीति में संशोधन किया गया। पूर्व में 'नियंत्रित शर्त के तहत बीज विकास' हेतु एफडीआई की अनुमति थी।

यंत्रीकरण और प्रौद्योगिकी

8.25 कृषि यंत्रीकरण में कृषि उत्पादकता में सुधार लाने की भारी क्षमता है। प्रायोगिक आंकड़े यह पुन: पुष्ट करते है कि कृषि बिजली की उपलब्धता का कृषि उत्पादकता के साथ प्रत्यक्ष संबंध है। उचित फसल और क्षेत्र विशेष के कृषि उपस्कर कृषि को व्यवहार्य और आकर्षक बनाने में कृषि निविष्टियों के प्रभावी उपयोग को सक्षम बनाते है। यद्यपि देश के कृषि यंत्रीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, फिर भी इसका विस्तार अभी भी देश में असमान है। वर्तमान में कृषि बिजली उपलब्धता लगभग 1.7 किलोवाट/हेक्टयर है जो कि कोरिया (7+ किलोवाट/हे॰ से ज्यादा), जापान (14+ किलोवाट/हे॰ से ज्यादा) और अमरीका (6+ किलोवाट/हे॰ से ज्यादा) से काफी कम है। यह अनुमान है कि स्थिर निवल बुआई क्षेत्र में खाद्यान्न बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कृषि बिजली उपलब्धता न्यूनतम 2.0 किलोवाट/हे॰ होनी चाहिए। कृषि यंत्रीकरण में हो रही धीरे-धीरे किन्तु निरन्तर वृद्धि से कृषि श्रम अन्य नए और कीमती क्षेत्रों में जाने में मदद मिलेगी, इस प्रकार सघउ में और अधिक योगदान मिलेगा।

8.26 अब तक भारत में ट्रेक्टरों को कृषि यंत्रीकरण का बड़ा प्रतीक रहा है। भारतीय कृषि में लघु और सीमांत किसान ज्यादा है जिनकी लघु भूधारिता और कमजोर आर्थिक स्थिति से अत्यधिक कीमत वाले कृषि मशीन और उपस्कर का एकल मालिकाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य बना देता है। कस्टम हायरिंग या कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना के लिए ग्रामीण उद्यमियों के समर्थन और विक्रय अधिकार देने से इस संबंध में उन किसानों को मदद मिलेगी जो अभी 'शामिल न किए गए किसानों' की श्रेणी में आते हैं।

उर्वरक

8.27 भारत अपनी यूरिया आवश्यकता का 80 प्रतिशत भाग की पूर्ति स्वदेशी उत्पादन से कर रहा है लेकिन पोटाश (के) और फास्फेटिक (पी) उर्वरकों (सारणी 8.6) की आवश्यकता की पूर्ति के लिए आयात पर काफी निर्भर है। रसायनिक उर्वरक का कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कुछ वर्षों से लगातार बढ़ा है (सारणी 8.7)।

8.28 उर्वरकों की पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति 2010 में कार्यान्वित हुई थी। एनबीएस नीति के तहत, एक निर्धारित सब्सिडी की घोषणा वार्षिक आधार पर पोषक तत्व के प्रति किलो के आधार पर की जाती है। एक अतिरिक्त सब्सिडी सूक्ष्म पोषक तत्व को भी दी जाती है। किसानों को मृदा और फसल आवश्यकता के आधार पर विभिन्न प्रकार की सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों को प्रदान करने के उद्देश्य से, सरकार ने एनबीएस के तहत मिश्रित उर्वरकों के सात नए ग्रेडों को शामिल किया है। इस योजना के तहत निमार्ताओं/विक्रेताओं को अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने की अनुमति है। किसान पी और के उर्वरकों की वितरित लागत का केवल 50 प्रतिशत चुकाते हैं, शेष भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप वहन किया जाता है।

सारणी 8.6 : यूरिया, डीएपी तथा सम्मिश्र उर्वरकों का उत्पादन

(लाख टन)

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12*
यूरिया	203.10	198.60	199.20	211.12	218.80	222.88
डी-अमोनियम फास्फेट	48.52	42.12	29.93	42.46	35.37	39.41
सम्मिश्र उर्वरक	74.64	58.50	68.48	80.38	87.27	90.69

स्रोत : उर्वरक विभाग।
***अनुमानित**

सारणी 8.7 : पोषक तत्वों के संबंध में उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खपत

(लाख टन)

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
नाइट्रोजन (एन)	137.73	144.19	150.90	155.80	165.58
फास्फेटिक (पी)	55.43	55.15	65.06	72.74	80.50
पोटास (के)	23.35	26.36	33.13	36.32	35.14
जोड़ (एन+पी+के)	216.51	225.70	249.09	264.86	281.22
प्रति हेक्टेयर खपत (कि.ग्रा.)	111.8	116.50	127.2	135.76	144.14

स्रोत : उर्वरक विभाग।

वर्षा और जलाशय स्तर

8.29 वर्षा फसल उत्पादन और उत्पादकता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करना जारी रखती है। वार्षिक वर्षा का लगभग 75 प्रतिशत भाग दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन (जून-सितम्बर) के दौरान प्राप्त होता है। 2011 के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान, सम्पूर्ण देश ने दीर्घावधि औसत (एलपीए) से 1 प्रतिशत अधिक प्राप्त हुई। केन्द्रीय भारत और पश्चिमोत्तर भारत में एलपीए की तुलना में क्रमश: 10 प्रतिशत और 7 प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। दक्षिण प्रायद्वीप में साधारण वर्षा हुई। पूर्वोत्तर भारत में एलपीए से 14 प्रतिशत कम वर्षा हुई। जिला स्तर पर, 24 प्रतिशत जिलों में अतिरिक्त वर्षा, 52 प्रतिशत में सामान्य वर्षा, 23 प्रतिशत में सामान्य से कम और 1 प्रतिशत में अपर्याप्त वर्षा हुई।

8.30 36 उपखण्डों में से 3 में 2011 में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा हुई। शेष 33 उपखण्डों, में से 7 में अतिरिक्त वर्षा हुई और शेष 26 में सामान्य वर्षा हुई (सारणी 8.8)

8.31 देश में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मॉनीटर किए जाने वाले 81 बड़े जलाशयों की पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) कुल अभिकल्पित भण्डारण क्षमता का 151.77 बिलियन क्यूबिक मीटर्स (बीसीएम) है। मॉनसून 2011 के अंत में, इन जलाशयों में कुल चालू भण्डारण 131.076 बीसीएम था जो मानसून 2010 के अंत में 115.23 बीसीएम का चालू भण्डारण से अधिक है तथा 102.759 बीसीएम विगत 10 वर्षों का औसत है। मानसून में परिवर्तन को देखते हुए बढ़ती हुई सिंचाई क्षमता कृषि में सतत् वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

सिंचाई

8.32 सिंचाई वर्धित उत्पादकता के माध्यम से आदर्श उत्पादन की विभिन्न फसलों की पौध वृद्धि के विभिन्न महत्वपूर्ण स्तरों पर आवश्यक अति-महत्वपूर्ण निविष्टियों में से एक है। भारत सरकार ने सरकारी निधियन के माध्यम से सिंचाई क्षमता को बढ़ाया है और किसानों को अपने खेतों में क्षमता सृजन में मदद कर रही है। पर्याप्त सिंचाई क्षमता बड़ी और मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सृजित की गई है।

सारणी 8.8: मानसून निष्पादन : 2001-2011 (जून-सितम्बर)

वर्ष	मौसमी उपमण्डलों की संख्या			सामान्य/ अत्यधिक वर्षा वाले जिलों का प्रतिशत	समग्र रूप से देश की औसत लम्बी अवधि की वर्षा का प्रतिशत
	सामान्य	अत्यधिक	कम/बहुत कम		
2001	28	1	6	68	91
2002	14	1	21	37	81
2003	23	8	5	76	105
2004	23	0	13	56	87
2005	24	8	4	72	99
2006	21	6	9	60	100
2007	18	13	5	72	106
2008	31	2	3	76	98
2009	11	3	22	42	78
2010	17	14	5	70	102
2011	26	7	3	76	101

स्रोत: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग

8.33 केन्द्रीय सरकार ने अधूरी सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए सहायता हेतु 1996-97 से त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत, योजना आयोग द्वारा अनुमोदित परियोजनाएं सहायता के लिए पात्र है। एआईबीपी के तहत, केन्द्रीय ऋण सहायता (सीएलए)/अनुदान के रु॰ 50,380.64 करोड़ 30 नवम्बर 2011 तक जारी कर दिए गए हैं। 31 मार्च 2011 की स्थिति के अनुसार 290 परियोजनाएं एआईबीपी के अन्तर्गत कवर किए गए हैं और 134 पूरी कर दी गई है। जबकि उच्च सिंचाई क्षमता उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में मदद करेगी, ऐसे उत्पादन से सुनिश्चित पारिश्रमिक कृषि के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

कृषि उत्पादन हेतु मूल्य

8.34 कृषि उत्पादन की सरकारी मूल्य नीति उच्च निवेश और उत्पादन को प्रोत्साहन देने तथा उचित कीमतों पर आपूर्ति उपलब्ध करवा कर ग्राहकों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से किसानों को उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। मूल्य नीति अर्थव्यवस्था की समग्र आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में एक संतुलित और एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करना भी चाहती है। इसे पूरा करने के लिए, सरकार प्रत्येक मौसम में मुख्य कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है और भारतीय खाद्य निगम, सहकारिता और राज्य सरकारों से निर्दिष्ट अन्य एजेन्सियों के माध्यम से खरीद प्रचालन का संचालन करती है। सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों के साथ ऐसे अन्य सम्बद्धकारक जिन्हें समर्थन मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण माना जाता है, के दृष्टिकोणों के मद्देनजर विभिन्न कृषि जिंसों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्णय करती है। वर्ष 2011-12 में, विभिन्न कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों को उचित रूप से बढ़ाया गया है (सारणी 8.9)। कुछ मुख्य फसलों के एमएसपी

चित्र 8.8 कुछ महत्वपूर्ण फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की हाल की प्रवृत्तियां

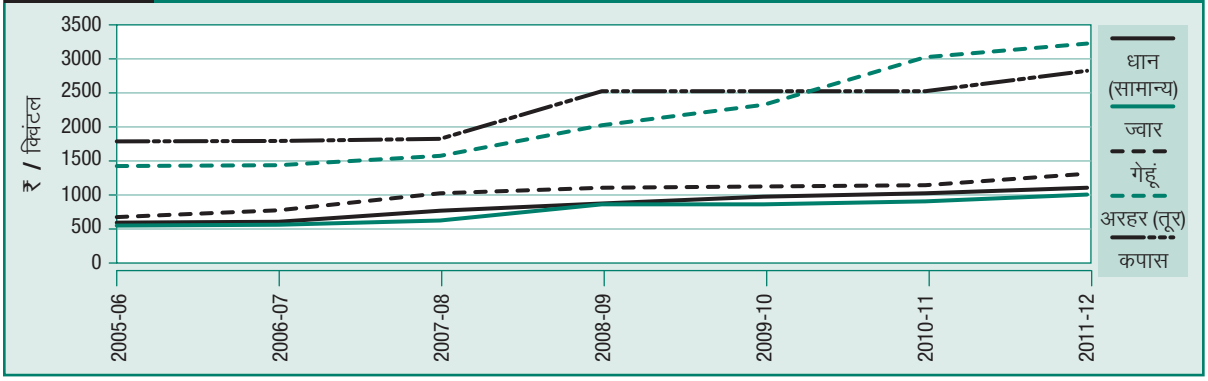

सारणी 8.9 : न्यूनतम समर्थन मूल्य

(₹ प्रति क्विंटल)

	2010-11	2011-12	2011-12 और 2010-11 कीमतों के बीच अन्तर
खरीफ फसलें			
चावल (सामान्य)	1000	1080	80
चावल (ग्रेड ए)	1030	1110	80
ज्वार (संकर)	880	980	100
ज्वार (मालिन्दी)	900	1000	100
बाजरा	880	980	100
मक्का	880	980	100
रागी	965	1050	85
अरहर (तूर)	3000*	3200*	200
मूंग	3170*	3500*	330
उड़द छिलका सहित	2900*	3300*	400
मूंगफली	2300	2700	400
सूर्यमुखी	2350	2800	450
सोयावीन (काला)	1400	1650	250
सोयाबील (पीला)	1440	1690	250
तिल	2900	3400	500
रामतिल	2450	2900	450
कपास (एफ-414/एच-777/जे34)	2500	2800	300
रबी फसल			
गेहूं	1120[b]	1285	165
जौ	780	980	200
चना	2100	2800	700
मसूर (लेंटिल)	2250	2800	550
रेपसीड/सरसों	1850	2500	650
कुसुम्भ	1800	2500	700

स्रोत : कृषि तथा सहकारिता विभाग

टिप्पणी: *तूर, मूंग और उड़द के लिए 500 रुपया प्रति क्विंटल की दर पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भी उपलब्ध है जो अधिप्राप्ति एजेंसियों को दो माह की फसल/फसल आवक अवधि के दौरान बेचा गया। (क) स्टेपल लैंथ (एमएम) 24.5 और 25.5 और माइक्रोनायर मूल्य 4.3–5.1 (ख) एमएसपी की तुलना में 50 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रोत्साहन बोनस।

ने लागतों के समानान्तर और उच्च उत्पादन के प्रोत्साहन के रूप में वृद्धि प्रवृत्ति दर्शायी (चित्र 8.8)।

8.35 नाफेड मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) प्रचालनों के लिए राज्य एजेन्सियों की नियुक्त करता है। पीएसएस प्रचालनों के समय केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा हुए घाटों, यदि कोई हों, की प्रतिपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा एमएसपी के 15 प्रतिशत तक की जाती है। इसके अलावा, सरकार पीएसएस प्रचालन करने वाली केन्द्रीय एजेन्सियों को कार्यशील पूंजी प्रदान करती है। सरकार उन बागानी और कृषि जिंसों की बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) भी कार्यान्वित करती है जो साधारणत: स्वरूप में बिगड़ने वाले जिंस हैं और पीएसएस के तहत कवर नहीं होते। अत: किसानों की मदद करने से उनके उत्पादन का लाभकारी मूल्य प्राप्त होता है। एमआईएस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के विशेष अनुरोध पर आयातिक है जो इसके कार्यान्वयन पर हुए 50 प्रतिशत घाटा, (पूर्वोत्तर–राज्यों के मामले में 25 प्रतिशत) यदि कोई हो, वह करने के लिए तैयार है। तथापि, घाटा कुल अधिप्राप्ति मूल्य के 25 प्रतिशत तक सीमित है। एमआईएस कार्यान्वित करते समय अर्जित लाभ, यदि हो, अधिप्राप्ति एजेन्सियों द्वारा रखा जाता है।

कृषि क्षेत्र में मुख्य योजनाएं/कार्यक्रम

8.36 कृषि चूंकि राज्य का विषय है, अत: कृषि उत्पादन बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने, और इस क्षेत्र की विस्तृत अप्रयुक्त क्षमता की खोज की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि, राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए, देश में कृषि उत्पाद और उत्पादकता बढ़ाने तथा कृषि समुदाय की आय बढ़ाने के लिए कई केन्द्र प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)

8.37 2007 में प्रारम्भ एनएफएसएम भारत सरकार की फसल विकास योजना है जिसका लक्ष्य 2011-12 के अंत तक चावल, गेहूं और दालों के क्रमश: 10, 8 और 2 मिलियन टन का अतिरिक्त उत्पादन है। यह योजना 2007-08 से 2011-12 की अवधि के लिए रु॰ 4,883 करोड़ के परिव्यय के साथ अनुमोदित की गयी थी। लगभग 3,381 करोड़ रु॰ की राशि 31 मार्च 2011 तक खर्च की जा चुकी है। मिशन हस्तक्षेप में उन्नत विविधता वाले बीज, मृदा सुधारक, पौध पोषक तत्व, कृषि मशीन/औजार तथा पौध संरक्षण उपाय सहित प्रमाणित प्रौद्योगिकी संघटकों का विवेकपूर्ण मिश्रण है। इसके अलावा, दालों के उत्पादन को प्रत्येक 1,000 हेक्टेअर के 1,000 कलस्टरों की प्रौद्योगिकियों के सक्रिय संवर्धन से बढ़ाने के लिए त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम नाम के तहत विशेष पहल 2010 में शुरू की गई। एनएफएसएम के तहत महत्वपूर्ण उपलब्धियां कार्यक्रम कार्यान्वयन के दौरान दर्ज हुई जैसे नवीन कृषि परम्पराएं, चावल, गेहूं, दाल और संकर-चावल की उच्च उत्पादनकारी किस्मों का वितरण और उच्च उत्पादकता के लिए मृदा उर्वरता वापस पाने के लिए क्षेत्र में मृदा सुधार का प्रयोग। लक्षित हस्तक्षेप के जरिए मिशन ने अग्रिम तौर पर एक वर्ष पहले ही खाद्य का 25 मिलियन टन का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त कर लिया है जो ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष 2011-12 में निर्धारित 20 मिलियन टन के लक्ष्य से अधिक है।

वृहत कृषि प्रबन्धन (एमएमए)

8.38 कृषि उत्पादन और उत्पादकता की वृद्धि के संबंध में राज्यों के प्रयासों को बढ़ाने/पूरा करने में इसकी प्रभावोत्पादकता में सुधार करने, कृषि उत्पादन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित दस उप योजनाओं में से कृषिक विकास कार्यक्रमों को अवसर प्रदान करने, और नवीन संघटकों के संसाधनों के 20 प्रतिशत के उपयोग के लिए इसे लोचशीलता देने के लिए 2008 में एमएमए योजना में सुधार किया गया था। संशोधित एमएमए योजना में सूत्र आधारित आवंटन कसौटी है तथा पूर्वोत्तर राज्यों जहां केन्द्रीय हिस्सा 100 प्रतिशत अनुदान है को छोड़कर 90:10 अनुपात आधार पर राज्यों/संघ राज्यों को अनुदानों के रूप में सहायता प्रदान करती है। ग्यारहवीं योजना के कुल परिव्यय में से अर्थात् 5,500 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से लगभग 3,845 करोड़ रुपए की निधियां योजना अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्यों को जारी कर दी गई है। 2011-12 के लिए 780.00 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए जिसमें से 772 करोड़ रुपए 21 फरवरी 2012 तक राज्यों को जारी कर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)

8.39 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक निवेश बढ़ाने हेतु राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए ग्यारहवीं योजना में 25,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 2007-08 में आरकेवीवाई शुरु की गई। राज्यों को 2007-08 में आरकेवीवाई शुरु की गई। राज्यों को 2007-08 से 2010-11 के दौरान आरकेवीवाई के तहत 14,598.31 करोड़ रुपए प्रदान कर दिए गए हैं। चालू वर्ष के लिए आरकेवीवाई के तहत आवंटन 7810.87 करोड़ रुपए हैं।

8.40 राज्यों को परियोजना चुनाव और कार्यान्वयन में लोचशीलता की अनुमति देने के लिए आरकेवीवाई प्रपत्र राष्ट्रीय वरीयताओं को उप-योजनाओं के रुप में लेने की अनुमति देता है। उप-योजनाओं में, पूर्व क्षेत्र में हरित क्रांति लागत वर्षासिंचित क्षेत्रों में 60,000 दलहन गांवों का एकीकृत विकास, पाम ऑयल का संवर्धन, सब्जी कलस्टर संबंधी पहल; पोषक अनाज; राष्ट्रीय प्रोटीन संपूरक मिशन; त्वरित चारा विकास कार्यक्रम,, वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास कार्यक्रम; और सेफरॉन मिशन शामिल है। आरकेवीवाई उन राज्यों को केन्द्रीय सहायता के 50 प्रतिशत से सम्बद्ध है, जिन्होंने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों पर राज्य आयोजना व्यय का प्रतिशत बढ़ा दिया है। राज्यों ने कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों में आवंटन 2006-07 में कुल राज्य आयोजना व्यय के 4.88 प्रतिशत से वास्तव में बढ़ाकर 2010-11 में 6.04 प्रतिशत (संशोधित अनुमान-सं॰अ॰) कर दिया है।

तिलहन, दलहन, ऑयल पाम, और मक्का एकीकृत योजना (आइसोपाम)

8.41 तिलहन ज्यादातर वर्षा सिंचित स्थितियों के तहत होता है और देश में शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में लघु और सीमांत किसानों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण है। केन्द्र प्रायोजित आइसोपाम, तिलहन के 14 राज्यों में, मक्का के 15, ऑयल पाम के 9 राज्यों में ग्यारहवीं योजना के दौरान कार्यान्वित होता रहा है। दलहन संघटक 1 अप्रैल 2010 से एनएफएसएम में मिला दिया गया है।

राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (एनएमएसए)

8.42 एनएमएसए का लक्ष्य भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लोचशील बनाने के लिए संसाधनों जैसे भूमि, जल, जैव विविधता, और जननिक संसाधनों का विकासशील कार्ययोजनाओं के द्वारा सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन परिषद् ने मिशन को सितम्बर 2010 में अनुमोदित कर दिया है तथा कृषि मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान इस मिशन के तहत कार्यकलाप शुरु कर दिए हैं (बॉक्स 8.2)।

विस्तार सेवाएं

8.43 तकनीकी प्रसार के लिए नई सांस्थानिक व्यवस्थाओं का प्रबन्धन कर किसान संचालित तथा किसान को जवाबदेह विस्तार प्रणाली बनाने के उद्देश्य से 2005-06 में राज्य विस्तार कार्यक्रम योजना सहायता शुरु की गयी थी। यह विस्तार सुधारों को प्रचालन के लिए जिला स्तर पर कृषि प्रौद्योगिकी प्रबन्धन अभिकरणों (आत्म) की स्थापना कर किया गया है। आत्म में किसानों/किसान समूहों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा जिला स्तर और नीचे के स्तर पर प्रचालनरत अन्य पणधारियों की सक्रिय भागीदारी है। कार्यक्रमों संबंधी संसाधनों का 30 प्रतिशत अधिदेशित कर लैंगिक भेदभाव की चिंता को मुख्यप्रभार में लाया जा रहा है तथा कार्यकलाप महिला किसानों और महिला विस्तार कार्यकर्ता द्वारा की जा रही है। शुरुआत से, 1.70 करोड़ किसानों में से 25 प्रतिशत महिला किसान है जो विभिन्न विस्तार कार्यकलापों के तहत लाभान्वित हो गई है।

8.44 अन्य योजनाएं भी है, जैसे दूरदर्शन अवसंरचना पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कृषि को सहायता देने के लिए भारत मीडिया और ऑलइण्डिया रेडियो का कृषि-संबंधी सूचना प्रसारण; कृषक समुदाय के टॉलफ्री टेलीफोन लाइनों के माध्यम से कृषि संबंधी सूचना प्रदान करने के लिए किसान कॉल सेन्टर्स; आर्थिक रुप से व्यवहार्य स्वरोजगार कार्य की स्थापना कर और कृषि मेलों के माध्यम से सूचना प्रसार भुगतान आधार पर किसानों को विस्तार सेवाएं प्रदान करने के लिए कृषि स्नातकों द्वारा कृषि-क्लिनिक और कृषि व्यवसाय केन्द्र। कृषि और सम्बद्ध विभागों के विस्तार क्षेत्र कार्यकर्ताओं की दक्षता और व्यावसायिक क्षमता सुधारने के लिए निलोखेर (हरियाणा), राजेन्द्र नगर (आंध्र प्रदेश), आनन्द (गुजरात) और जोरहाट (असम) में विस्तार शिक्षण संस्थान प्रचालनरत हैं। इसके अलावा, व्यावसायिक दक्षता सुधार, ज्ञान सुधार, और कृषि और सम्बद्ध विभागों के विषय-विशेषज्ञों/विस्तार कार्यकर्ताओं के तकनीकी कौशल के विकास के उद्देश्य से कृषि, बागवानी, पशु-पालन और मात्स्यिकी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर मॉडल ट्रेनिंग कोर्सेज हैं। मैनेज, हैदराबाद राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष संस्थान है जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के कृषि तथा सम्बद्ध विभागों के मिडिल तथा वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देता है।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम)

8.45 बागवानी क्षेत्र में फसलों की विस्तृत श्रेणी है जैसे, फल, सब्जी, जड़ें और कन्द फसलें, फूल, सुगन्ध और औषधीय पौधे, मसाले और पौधरोपण फसलें जो कृषि में विविधता लाने को आसान बनाते हैं। यह जानकारी में आया है कि बढ़ती बागवानी फसलें जब आजीविका सुरक्षा सुधारने, रोजगार सृजन बढ़ाने, खाद्य और पोषण सुरक्षा प्राप्त करने, तथा मूल्य वृद्धि के माध्यम से आय बढ़ोतरी का एक आदर्श विकल्प बन गया है। कई वर्षों से विभिन्न बागवानी फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धियां और महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिले हैं।

बॉक्स 8.2 : भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव

भारतीय कृषि क्षेत्र का दो तिहाई वर्षा सिंचित क्षेत्र के विभिन्न भागों में बराबर सूखे तथा बाढ़ के अलावा मानूसन की विभिन्न अनिश्चितताओं से ग्रस्त है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा और बाढ़ देश के कई भागों में अक्सर घटित होती रहती है। जलवायु परिवर्तन इन जोखिमों को और बढ़ाएगा तथा फसलों, मृदा, पशुधन, मात्स्यिकी और कीटों पर प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष प्रभावों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अत्यधिक प्रभावित होने की संभावना है। अत: जलवायु लोचशील बनाना महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन के विपरीत प्रभावों से निपटने वाली क्षमता अनुकूलन कार्ययोजनाएं, गर्मी, नमी, और लवणता दबाव के प्रति काश्तकारों में सहनशीलता का विकास कर रही है; फसल प्रबंधन परंपराओं से संशोधन कर रही है; जल प्रबन्धन सुधार रही है; नवीन कृषि परंपराएं जैसे संसाधन-संरक्षक प्रौद्योगिकियां धारण कर रही है; फसल में विविधता ला रही हैं; कीट प्रबंधन सुधार रही है; समय पर मौसम आधारित सलाहें उपलब्ध करवाना; फसल बीमा तथा किसानों के स्वदेशी प्रौद्योगिकी ज्ञान का प्रयोग कर रही हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 2010-12 के लिए रु॰ 350 करोड़ के परिव्यय के साथ एक योजना 'राष्ट्रीय जलवायु लोचशीलता कृषि पहल' की शुरुआत की है। इस पहल की योजना बहु-अनुशासनिक, और फसल, पशुधन और मात्स्यिकी को कवर करते हुए बहु-संस्थानिक प्रयास के रुप बनाई गई है तथा इसका मुख्य केन्द्रबिन्तु कृषि में जलवायु परिवर्तन का अनुकूलन और अल्पीकरण है। इसमें 100 अत्यंत संभावित जिलों में किसानों के खेतों में जलवायु-निवारक प्रौद्योगिकीयों के प्रदर्शन का घटक भी है। अत्याधुनिक अवसंरचना जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और अल्पीकरण संबंधी फ्रंटियर अनुसंधान करने के लिए मुख्य अनुसंधान संस्थानों की स्थापना की जा रही है।

8.46 एनएचएम योजना सभी भागीदारों की सक्रिय भागीदारी से, एक क्लस्टर विधि अपनाकर अग्र और पश्च जुड़ाव को विधिवत सुनिश्चित करते हुए बागवानी क्षेत्र के सम्पूर्ण विकास के लिए दसवीं योजना के दौरान शुरु की गई थी। वर्तमान में, 18 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों में 372 जिले एनएचएम में शामिल कर लिए गए हैं। पौधशालाओं और ऊतक संवर्धन इकाइयों की स्थापना कर गुणवत्ता पूर्ण पौधरोपण सामग्री की आपूर्ति, क्षेत्र विस्तार और उत्पादन और उत्पादकता सुधार कार्यक्रम, प्रौद्योगिकी संवर्धन, प्रौद्योगिकी विस्तार, मानव संसाधन विकास, फसल कटाई पश्च प्रबंधन और प्रत्येक राज्य/क्षेत्र और उनकी विविध कृषि जलवायु संबंधी स्थितियों के तुलनात्मक लाभों के अनुरूप विपणन हेतु अवसंरचना सृजन मिशन के प्रमुख कार्यक्रम हैं। शहरी समूह सब्जी पहल के तहत मेट्रो शहरों को अच्छी गुणवत्तापूर्ण सब्जियों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए 2011-12 में एक बड़ी पहल की शुरूआत की गई है।

राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)

8.47 देश में बांस फसल की क्षमता का उपयोग करने के लिए कृषि मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना, एनबीएम 568.23 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 27 राज्यों में कार्यान्वित है। मिशन बांस की खेती और विपणन के तहत क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्र आधारित, क्षेत्र विभेदक कार्य योजना धारण कर बांस क्षेत्र की सम्पूर्ण वृद्धि के प्रोत्साहन का विचार करती है। मिशन के तहत, नई पौधशाला ऊतक संवर्धन इकाइयों की स्थापना में मदद कर तथा मौजूदा इकाइयों का सशक्तिकरण कर गुणवत्ता पूर्ण पौधरोपण सामग्री का उपलब्धता बढ़ाकर कदम उठाए गए हैं। आगे एकीकरण करने के लिए, मिशन बांस उत्पाद विशेष तौर से हस्तशिल्प वस्तुओं के विपणन को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वित्त वर्ष (2011-12) के दौरान, वन का 9,349 हेक्टेयर और गैर-वन क्षेत्र का 5,526 हेक्टेयर बांस पौधारोपण के तहत अब तक कवर कर लिया गया है तथा मौजूदा बांस पौधरोपण का 1,074 हेक्टेयर को उच्च उत्पादकता के लिए सुधार दिया गया है। मिशन के प्रारम्भ से 1,89,466 हेक्टेयर को बांस पौधरोपण हेतु कवर किया गया है। इसके अलावा, मिशन ने बांस की उच्च उत्पादकता के लक्ष्य वाली तेईस अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए विभिन्न संस्थानों/विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न कृषि-जलवायु संबंधी स्थितियों के तहत कृषि/बागवानी फसलों और औषधीय पौधों के साथ उत्पादित बांस सहित कृषि-वानिकी परीक्षण शुरु कर दिए गए है।

पशु-पालन, डेरी कार्य और मात्स्यिकी

8.48 ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में इस क्षेत्र के लिए 6.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की समग्र वृद्धि की परिकल्पना की गयी है। 2010-11 में इस क्षेत्र का हिसा 121.84 मिलियन टन दूध, 63.02 बिलियन अण्डे, 42.99 मिलियन किग्रा ऊन और 4.83 मिलियन टन मांस है। अठारहवीं पशु गणना (2007) में कुल पशुधन संख्या 529.7 मिलियन और कुक्कुट की कुल संख्या 648.8 मिलियन है।

डेरी क्षेत्र

8.49 दूध उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है जो 1950-51 में 17 मिलियन टन से बढ़कर 2010-11 में 121.84 मिलियन टन हो गयी। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 1968-69 के 112 ग्राम प्रतिदिन से बढ़कर 2010-11 में 281 ग्राम हो गयी। तथापि, 2009-10 में प्रतिव्यक्ति दूध उपलब्धता भारत के प्रतिदिन 273 ग्राम की तुलना में विश्व औसत 284 ग्राम प्रतिदिन थी।

8.50 भारतीय डेरी क्षेत्र ने 2010-11 के दौरान 121.84 मिलियन टन दूध का वार्षिक उत्पादन प्राप्त कर नौंवी योजना के बाद से पर्याप्त वृद्धि की गति प्राप्त की (सारणी 8.10)। यह देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए दूध और दुग्ध उत्पाद की उपलब्धता की सतत वृद्धि को दर्शाता है। डेरी कार्य करोड़ों ग्रामीण परिवारों की आय का एक महत्वपूर्ण द्वितीयक स्रोत बन गया है और रोजगार तथा आय सृजन के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

8.51 कृषि मंत्रालय डेयरी क्षेत्र में गहन डेयरी विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन हेतु, अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और सहकारी तथा डेयरी उद्यमिता विकास योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय पशु एवं भैंस प्रजनन परियोजना (एनपीसीबीबी) नामक आनुवंशिक सुधार

सारणी 8.10 : दुग्ध उत्पादन और प्रति व्यक्ति उपलब्धता

वर्ष	प्रति व्यक्ति उपलब्धता (ग्राम/दिन)	दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन)
1990-91	176	53.9
2000-01	217	80.6
2005-06	241	97.1
2006-07	251	102.6
2007-08	260	107.9
2008-09	266	112.2
2009-10	273	116.4
2010-11#	281	121.8

स्रोत: पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग

टिप्पणी: # अनन्तिम

का एक मुख्य कार्यक्रम अक्तूबर 2000 में शुरू हुआ जो पांच वर्षों के दो अलग-अलग चरणों में दस वर्षों की अवधि की तुलना में कार्यान्वित किया जाएगा। एनपीसीबीबी वरीयता आधार पर देशी प्रजनन के आनुवंशिक उन्नयन और विकास पर विचार करता है।

8.52 केन्द्र द्वारा प्रायोजित पशुधन बीमा योजना सभी राज्यों में दो उद्देश्यों के साथ कार्यान्वित की जा रही है। पहला उद्देश्य है, किसानों और पशुपालकों के जानवरों की मृत्यु के किसी सम्भावित घाटे के एवज में संरक्षण व्यवस्था मुहैया कराना और दूसरा उद्देश्य पशुधन बीमा के लाभ का प्रदर्शन करना तथा पशुधन और इसके उत्पादों में गुणवत्तात्मक सुधार लाकर उन्हें लोकप्रिय बनाना। यह योजना 300 चुनिंदा जिलों में देशी/संकर नस्ल के दुधारु मवेशी पालने वाले किसानों और पशुपालकों को लाभ पहुंचा रही है। सब्सिडी का यह लाभ प्रत्येक परिवार के एक लाभार्थी के दो पशुओं को दिया जाएगा। वर्ष 2010-11 के दौरान 6.55 लाख पशुओं के लक्ष्य में से 8.16 लाख पशुओं (विदेशी संकर नस्ल के दुधारू भवेशी और भैंस) का बीमा किया गया। वर्ष 2011-12 में दिसम्बर 2011 तक 30.99 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई और 2006-07 से 2010-11 तक 29.10 लाख पशुओं का बीमा किया गया।

कुक्कुटपालन

8.53 कुक्कुटपालन क्षेत्र में एक और अत्यधिक औद्योगीकृत और निर्यातोन्मुखी कृषि तंत्र (अथवा प्रणालियों) की श्रृंखला है तो दूसरी और बैकयार्ड, छोटे और सीमांत किसानों के अजीविका मुद्दों का समाधान है। वर्ष 2010-11 में प्रति व्यक्ति वर्तमान उपलब्धता लगभग 53 अंडे प्रतिवर्ष है। कृषि और संसाधित खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकरण (अपीडा) के अनुसार वर्ष 2009-10. में कुक्कुट उत्पादों का निर्यात लगभग 372 करोड़ रुपए रहा।

8.54 चंडीगढ़, भुवनेश्वर, मुम्बई और हेस्सरघट्टा में चार क्षेत्रीय केन्द्रीय कुक्कुट विकास संगठन स्थित हैं जो किसानों को उनके तकनीकी दक्षता उन्नयन के लिए बैकयार्ड वियरिंग, प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त स्टॉकों के उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। केन्द्रीय कुक्कुट निष्पादन परीक्षण केन्द्र देश में विभिन्न आनुवंशिक स्टॉक संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। 'कुक्कुट विकास' योजना के तीन संघटकों नामत: राज्य कुक्कुट फार्मों को सहायता, ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट विकास और कुक्कुट सम्पदा का कार्यान्वयन किया जा रहा है। साथ ही व्यक्तियों की उद्यमिता दक्षता को प्रोत्साहित करने के लिए एक केन्द्रीय क्षेत्र 'कुक्कुट उपक्रम पूंजी निधि' योजना का कार्यान्वयन पूंजी सब्सिडी पद्धति से विभिन्न कुक्कुट पालन कार्यकलापों को शामिल करते हुए 1 अप्रैल 2011 से किया जा रहा है।

पशुधन स्वास्थ्य

8.55 भारत में पशुधन कई गुना बढ़ गया है जिस वजह से पशुपालन क्षेत्र को दक्ष कार्यकलापों को अपनाना पड़ रहा है। व्यापार गतिविधि में बढ़ोतरी तथा बड़ी मात्रा में क्रॉस ब्रीडिंग कार्यक्रमों से देश में विदेशी बीमारियों के आगमन के अवसर भी बढ़े हैं। रोगमुक्त स्थिति को बनाए रखने का सुनिश्चय करने हेतु तथा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पशु स्वास्थ्य योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं। भारत सरकार पशुधन तथा मुर्गियों की प्रमुख बीमारियों को नियंत्रित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता देती है और जिनमें पशु रोगों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सूचित करने सहित पशु चिकित्सा सेवाओं को भी सुदृढ़ किया जाता है। 81 मिलियन टीकाकरण और देश को पशु प्लेग मुक्त और संक्रामक गोजातीय फेफड़ी रोग मुक्त स्थिति को बनाए रखना प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है।

8.56 कृषि मंत्रालय 'पक्षी इन्फ्लूएंजा की तैयारी, नियंत्रण और परिरोधन पर विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक परियोजना का भी कार्यान्वयन करं रहा है जिसमें इस महामारी के समय पर नियंत्रण और परिरोधन के उपाय आरंभ करने, प्रशिक्षण और प्रयोगशाला अवसंरचना तथा संचार तंत्र सहायता की दृष्टि से निगरानी क्षमता निर्माण की परिकल्पना की गई है। देश में प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी पक्षी इन्फलूएंजा रोगों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर लिया गया। फरवरी, 2012 में उड़ीसा में इस बीमारी के फैलने की सूचना मिली जहां नियंत्रण एवं परिरोधन के कार्य किए जा रहे हैं। देश में पक्षी इन्फलूएंजा की पिछली पांच घटनाओं में इस बीमारी को रोकना, नियंत्रण और परिरोधन हेतु एक सख्त कार्य योजना के जरिए 10 से 15 दिन के भीतर नियंत्रित कर लिया गया है।

मात्स्यिकी

8.57 वर्ष 2010-11 (त्व.अ.) में मात्स्यिकी क्षेत्र का कुल सघउ में योगदान स्थायी लागत पर 0.7 प्रतिशत और कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन से स्थायी लागत पर सघउ का 5. 0 प्रतिशत रहा। मत्स्य उत्पादन वर्ष 1990-91 के 3.8 मिलियन टन से बढ़कर 2010-11 में 8.29 मिलियन टन हो गया। (सारणी 8.11) मत्स्य पालन, जल कृषि और संबद्ध कार्यकलापों ने वर्ष 2010-11 में प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक होने के अलावा 14 मिलियन से अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करना सूचित किया।

दाना एवं चारा

8.58 दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और चालू आनवुंशिक सुधार कार्यक्रम जारी रखने के लिए पशुधन हेतु दाने एवं चारे की पर्याप्त

सारणी : 8.11 : मछली का उत्पादन व निर्यात

वर्ष	मछली उत्पादन (मिलियन टन)			समुद्री उत्पादों का निर्यात	
	समुद्री	अन्तर्देशीय	जोड़	मात्रा ('000 टन)	मूल्य (करोड़ रु. में)
1990-91	2.3	1.5	3.8	140	893
2000-01	2.8	2.8	5.6	503	6,288
2003-04	3.0	3.4	6.4	412	6,087
2004-05	2.8	3.5	6.3	482	6,460
2005-06	2.8	3.8	6.6	551	7,019
2006-07	3.0	3.8	6.8	612	8,363
2007-08	2.9	4.2	7.1	541	7,620
2008-09	3.0	4.6	7.6	602	8,608
2009-10	3.1	4.8	7.9	678	10,048
2010-11	3.2	5.1	8.3	813	12,901

स्रोत : पशुपालन, डेयरी तथा मात्स्यिकी विभाग।

उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। देश में ताजा चारे का लगभग 34 प्रतिशत कमी होने का अनुमान है। चारा उत्पादन में सुधार हेतु राज्यों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय वर्ष 2010 से एक संशोधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित चारा एवं खाद्य विकास योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। केन्द्रीय मिनीकिट परीक्षण कार्यक्रम के तहत अधिक उत्पादन वाली चारे की किस्मों की चारा बीज मिनीकिट किसानों को निःशुल्क बांटी जाती है। वर्तमान वर्ष (2011-12) के दौरान राज्यों को वितरण हेतु 12.67 लाख चारा बीज मिनीकिटों का आवंटन किया गया है।

ऋण एवं बीमा

कृषि ऋण

8.59 कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों के कष्ट को कम करने में कृषि ऋण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सरकार ने कृषि ऋण प्रवाह में सुधार लाने और कृषि ऋणों पर ब्याज की दर में कमी लाने हेतु अनेक उपाय किए हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है/कई पहल किए हैं, जो निम्नलिखित है:–

(i) वर्ष 2003-04 से कृषि ऋण का प्रवाह निरंतर लक्ष्य से अधिक रहा है। वर्ष 2010-11 में लक्ष्य से 119 प्रतिशत की उपलब्धि रही। वर्ष 2011-12 के लिए कृषि ऋण के प्रवाह का लक्ष्य 4,75,000 करोड़ रुपए पर नियत किया गया है और नवम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार 2,94,023 करोड़ रुपए की उपलब्धि रही।

(ii) वर्ष 2006-07 से किसान 3 लाख रुपए तक की मूलधन राशि तक का फसल ऋण 7 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्राप्त कर रहे हैं। वर्ष 2009-10 में सरकार ने ऐसे किसानों को अतिरिक्त 1 प्रतिशत की ब्याज सहायता प्रदान की जिन्होंने अपने अल्पावधि फसल ऋण की वापसी अदायगी अनुसूची के अनुसार की। वर्ष 2010-11 में इस ब्याज सहायता को बढ़ाकर 2 प्रतिशत और 2011-12 में और बढ़ाकर 3 प्रतिशत कर दिया गया। ऐसे किसानों के लिए ब्याज की प्रभावी दर 4 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी।

(iii) सभी पात्र एवं इच्छुक किसानों को समयबद्ध तरीके से किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) प्रदान करने की पहल की गई है। इस योजना में किसानों को उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण सहायता प्रदान करने हेतु समग्र ऋण सीमा के भीतर उपभोग ऋण और निवेश ऋण के उचित संघटक शामिल हैं। अक्तूबर 2011 तक लगभग 10.78 करोड़ रुपए केसीसी जारी किए गए।

(iv) सरकार 13,596 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के अल्पावधिक ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचा हेतु एक पुनरूज्जीवन पैकेज का कार्यान्वयन कर रही है। पच्चीस राज्य सरकारों ने भारत सरकार और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत देश की 96 प्रतिशत प्रारंभिक कृषि सहकारी समितियों और 96 प्रतिशत केन्द्रीय सरकारी बैंक आते हैं। नवम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार, नाबार्ड ने सत्रह राज्यों में 53,205 पात्र पीएसीएस के पुनर्पूंजीकरण हेतु भारत सरकार के हिस्से के रूप में 9,002.98 करोड़ रुपए की राशि जारी की।

कृषि बीमा

8.60 देश में विभिन्न प्रमुख फसल बीमा योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

(i) राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) एनएआईएस सरकार द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय क्षेत्र फसल बीमा योजना है जिसे वर्ष 1999-2000 के फसल वाले मौसम से देश में प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणामस्वरूप फसलों के नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करते के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि॰ इस योजना का कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सी है। वर्तमान में यह योजना 25 राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। लगभग 6593 करोड़ रुपए की प्रीमियम आय के एवज में लगभग 22142 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है जिससे लगभग 487 लाख किसानों को लाभ हुआ है।

विगत 23 फसल मौसमों के दौरान अर्थात् रबी 1999-2000 से रबी 2010-11 तक लगभग 2,685 लाख हेक्टेयर से भी अधिक क्षेत्र के 1,762 किसानों को शामिल किया गया और लगभग 2,21,307 करोड़ रुपए की राशि का बीमा किया गया।

(ii) संशोधित एनएआईएस (एमएनएआईएस) फसल बीमा योजनाओं में और सुधार के उद्देश्य से एमएनएआईएस देश के 50 जिलों में रबी 2010-11 मौसम से इन योजनाओं को प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वित कर रहा है। एमएनएआईएस में किए गए कुछ प्रमुख सुधार इस प्रकार हैं, प्रीमियम में विभिन्न दरों पर सब्सिडी के साथ बीमांकिक प्रीमियम, सभी दावों की देयता बीमाकर्ता पर प्रमुख फसलों के लिए बीमा का इकाई क्षेत्र घटाकर ग्रामीण पंचायत स्तर पर; रुकावट/बीजारोपण/पौधरोपण जोखिम और चक्रवाती तूफान के कारण फसल पश्च हानियों के लिए क्षतिपूर्ति, तत्काल राहत के रूप में संभावित दावों के 25 प्रतिशत तक के अग्रिम का उधार पर भुगतान, प्रारंभिक उपज के परिकलन हेतु अधिक दक्ष आधार और निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं को पर्याप्त अवसंरचना के साथ अनुमति। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा केवल वैध प्रीमियम सब्सिडी का वहन 50:50 आधार पर किया जाता है और दावे बीमा कम्पनियों की देयता होते हैं। इस योजना को 17 राज्यों द्वारा रबी 2011-12 मौसम के लिए कुल 50 जिलों में अधिसूचित किया गया है। रबी 2010-11 के दौरान लगभग 3.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लगभग 3.58 लाख किसानों को शामिल किया गया और 69,406 लाख रुपए की राशि का बीमा किया गया। 15.96 करोड़ रुपए के दावों को 46,224 किसानों को उपलब्ध कराया गया है। 7.18 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के 1,47,074 लाख रुपए के बीमा के साथ 4.89 लाख किसानों को कवर किया।

(iii) प्रायोगिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) इसी प्रकार डब्ल्यूबीसीआईएस भी खरीफ 2007 मौसम से केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्रतिकूल मौसम जैसे कम या अधिक वर्षा, उच्च या निम्न ताप, और आर्द्रता जिसमें फसल उत्पादन प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, के प्रति बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। डब्ल्यूबीसीआईएस प्रीमियम की बीमांकिक दर पर आधारित है परन्तु इस योजना को आकर्षक बनाने के लिए किसानों से वास्तविक रूप में लिए जाने प्रीमियम को एनएआईएस के सममूल्य पर सीमित किया गया है। खरीफ 2007-08 से खरीफ 2010-11 तक लगभग 278 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के 195.33 लाख किसानों को इस योजना के तहत लगभग 31,953 करोड़ रुपए की राशि के बीमे के साथ कवर किया गया। लगभग 2,868 करोड़ रुपए के प्रीमियम की एवज़ में लगभग 991 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया गया है। वर्ष 2012-13 के लिए इन योजनाओं हेतु कार्यान्वयनकारी एजेन्सी द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार लगभग 2,200 करोड़ रुपए की ब्योरेवार निधि आवश्यकताएं हैं।

कृषि विपणन

8.61 कृषि बाजार की भूमिका कृषि उत्पाद को किसान से उपभोक्ता तक सर्वाधिक दक्ष तरीके से सुपुर्द करना है। भारत में कृषि बाजारों का विनियमन एपीएमसी अधिनियमों के जरिए किया जाता है। राज्यों के एपीएमसी अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार प्रत्येक एपीएमसी अधिसूचित कृषि उत्पाद की बिक्री पर क्रेताओं/विक्रेताओं से विहित तरीके से बाज़ार शुल्क का संग्रहण करने के लिए अधिकृत है। कृषि/बागवानी उत्पादों पर कमीशन प्रभारों के अपेक्षाकृत अधिक भार से उनकी विपणन लागत अधिक हो जाती है जो एक अवांछनीय परिणाम है। इन सबसे एक एकल बिन्दु बाजार शुल्क प्रणाली की आवश्यकता महसूस हो रही है जिससे कि उत्पादों का मुक्त आवागमन आसान बनाने, स्थिर करने मूल्य और उत्पादक और उपभोक्ता बाजार खंडों के बीच मूल्य अंतर को कम करने में सहायता मिल सके। अन्य बिन्दु जिनपर यह प्रकाश डाला जाना है कि किसानों द्वारा बिक्री के पहले कृषि उत्पादों की सफाई, ग्रेडिंग और पैकेजिंग के कार्य को इन बाजार समितियों द्वारा पर्याप्त ढंग से लोकप्रिय नहीं बनाया गया है।

8.62 इसके बावजूद कुछ अग्रणी राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश और गुजरात को मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003 से कुछ उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं। कुछ राज्य सरकारों ने निजी क्षेत्र

को बाज़ारों की स्थापना और किसानों से सीधी खरीद हेतु लाइसेंस प्रदान किए हैं जिससे कि वैकल्पिक विपणन माध्यमों की व्यवस्था की जा सके। कृषि बाजारों को प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु पर्याप्त संभावना है। जैसाकि एपीएमसी का सृजन किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए किया गया था और यह उस बात पर निर्भर करता है कि किसान एपीएमसी की तरफ का विकल्प चुनते हैं अथवा नहीं। इस तथ्य के प्रकाश में एपीएमसी अधिनियम पर पुन: गौर करने की आवश्यता है।

खाद्य प्रबंधन

8.63 खाद्य प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं, किसानों से खाद्यानों की लाभकारी मूल्यों पर खरीद, उपभोक्ताओं विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों में वहनीय मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण और खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता के लिए खाद्य बफर स्टॉक का रखरखाव। सरकार के निपटान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और केन्द्रीय निर्गम मूल्य दो साधन हैं। खाद्यान्नों की खरीद, वितरण और भांडागार करने का केन्द्रक अभिकरण भारतीय खाद्य निगम है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद असीमित अवधि के लिए है, जबकि वितरण आवंटन और लाभार्थियों की कुल खरीद के परिमाण के आधार पर संचालित किया जाता है। खाद्यान्नों की कुल खरीद मुख्यतया लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और भारत सरकार की अन्य कल्याण योजनाओं के तहत की जाती है।

खाद्यान्नों की खरीद और कुल खरीद

8.64 रबी विपणन मौसम 2011-12 के दौरान, 2010-10 के 22.52 मिलियन टन के मुकाबले 28.35 मिलियन टन गेहूं खरीदा गया। 1 नवम्बर 2011 की स्थिति के अनुसार खरीफ विपणन मौसम 2011-12 में चावल की कुल खरीद विगत वर्ष की इसी अवधि के 7.68 मिलियन टन के मुकाबले 8.5 मिलियन टन रही। वर्ष 2010-11 में मोटे अनाज की खरीद 2009-10 के 4.07 लाख टन की तुलना में 1.28 लाख टन रही। खाद्यान्नों की खरीद मुख्यतया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से की जाती है। इससे टीपीडीएस की आवश्यकताओं और बफर स्टॉक मानकों की पूर्ति के लिए खाद्य स्टॉकों के पर्याप्त स्तर का मार्ग प्रशस्त हुआ है। हाल के वर्षों में टीपीडीएस और अन्य कल्याण योजनाओं के लिए केन्द्रीय पूल से गेहूं और चावल की कुल खरीद में बढ़ोतरी हुई है (सारणी 8.12)। भंडार क्षमता की कमी को देखते हुए एमसीआई के संचालन के लिए यह एक चुनौती है। भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को बॉक्स 8.3 में दिया गया है।

विकेन्द्रित खरीद योजना

8.65 कई राज्यों ने वर्ष 1997 से आरंभ विकेन्द्रित खरीद योजना के कार्यान्वयन का विकल्प चुना है जिसके तहत खाद्यान्नों की खरीद और वितरण राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। इस योजना के तहत नामोर्निदिष्ट राज्य टीपीडीएस और भारत सरकार की कल्याण योजनाओं के तहत खाद्यान्नों की खरीद, उनका भंडारण और उन्हें जारी करते हैं। राज्यों के लिए निर्धारित आर्थिक लागत और सीआईपी के बीच के अंतर को राज्य सरकार को सब्सिडी के रूप में अंतरित कर दिया जाता है खरीद की इस विकेन्द्रीकृत प्रणाली का उद्देश्य एमएसपी योजनाओं के तहत अधिक किसानों को शामिल करना, पीडीएस की दक्षता में सुधार लाना, स्थानीय लोगों के खाद के अनुरूप खाद्यान्नों की किस्में

सारणी 8.12 : गेहूं और चावल की अधिप्राप्ति और खरीद (मिलियन टन)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
अधिप्राप्ति					
चावल	28.8	34.1	32.03	34.2	18.1*
गेहूं	11.1	22.7	25.4	22.5	28.3
कुल	**39.9**	**56.8**	**57.4**	**56.7**	**46.4**
केन्द्रीय पूल से उठाना					
	2007-08	**2008-09**	**2009-10**	**2009-10**	**2010-11 (दिसंबर 2011 तक)**
चावल	25.23	24.62	27.37	29.93	24.18
गेहूं	12.20	14.87	22.34	23.07	17.80
कुल	**37.43**	**39.49**	**49.71**	**52.00**	**41.98**

स्रोत: खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग।

टिप्पणी: गेहूं तथा चावल के अधिप्राप्ति आंकड़े विपणन मौसमवार हैं, जबकि उठाव के आंकड़े वित्तीय वर्षवार हैं। *दि॰ 10.01.2012 की स्थिति अनुसार।

बॉक्स 8.3 : खरीद एवं भण्डारण क्षमता

दि॰ 01-02-2012 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय पूल में कुल 552.51 लाख टन के साथ चावल का कुल स्टॉक 318.26 लाख टन (जिसमें चावल के सम्बन्ध में बिना मशीन कूटा धान) और गेहूं का 34.25 लाख टन था। स्टॉक का उच्चतम स्तर सामान्यत: गेहूं भी खरीद के अन्त में पहुंच गया। दि॰ 01-06-2011 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में 276.41 लाख टन चावल (जिसमें चावल के सम्बन्ध में बिना मशीन कूटा धान) और 378.32 लाख टन गेहूं था। इस प्रकार केन्द्रीय पूल में कुल स्टॉक 654.73 लाख टन था। दि॰ 01-02-2012 की स्थिति के अनुसार एफसीआई की कवर्ड भण्डारण क्षमता 300.83 लाख टन है (स्वयं तथा किराए पर) जबकि राज्य एजेंसियों/(एसडब्ल्यूसी) की कवर्ड क्षमता 153.54 लाख टन है जो खाद्यान्न के केन्द्रीय पूल स्टॉक के भण्डारण हेतु उपयोग में लायी जा रही है। इस प्रकार केन्द्रीय पूल स्टॉक में कुल कवर्ड स्टोरेज क्षमता 454.37 लाख टन है। स्टोरेज क्षमता की तीव्र कमी की समस्या को स्वीकारते हुए, सरकार ने पहले ही एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक की अध्यक्षता में स्टोरेज मुद्दे पर ध्यान देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है। खाद्य सुरक्षा के व्यापक उद्देश्यों तथा विभिन्न सरकारी मध्यस्थता/कार्यक्रमों के सार्थक परिणामों को प्राप्त करने की चुनौतियों की पूर्ति हेतु उपयुक्त स्थानों पर अतिरिक्त भण्डारण क्षमता का सृजन किया गया है। इस सम्बन्ध में, सरकार ने 19 राज्यों में निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना के अन्तर्गत भाण्डागारों के निर्माण की योजना तैयार की है। निजी उद्यमी तथा केन्द्रीय और राज्य भाण्डागार निगमों के जरिए लगभग 151 लाख टन की भण्डारण क्षमता के सृजन को पहले ही उच्च स्तरीय समिति ने अनुमोदित कर दिया है।

प्रदान करना और परिवहन लागत कम करना है। डीसीपी योजनाओं के तहत राज्यों ने चावल की खरीद में बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है।

बाजार स्टॉक

8.66 1 फरवरी, 2012 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की स्टॉक स्थिति 55.2 मिलियन टन थी जिसमें चावल 31.8 मिलियन टन और गेहूं 23.4 मिलियन टन था जो वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान टीपीडीएस और कल्याण योजनाओं के तहत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है (सारणी 8.13)।

एफसीआई के खाद्यान्नों की आर्थिक लागत

8.67 खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में तीन संघटक हैं जो इस प्रकार है, किसानों को दिए जाने वाले मूल्य के रूप में एमएसपी (और बोनस यदि लागू हो), खरीद संबंधी आनुषंगिक व्यय और वितरण की लागत। गेहूं और चावल दोनों की आर्थिक लागत में पिछले कुछ वर्षों के दौरान एमएसपी में बढ़ोतरी और आनुषंगिक व्यय में आनुपातिक वृद्धि के कारण काफी बढ़ोतरी देखी गई (चित्र 8.9)।

खाद्य सब्सिडी

8.68 गरीबों को सब्सिडीकृत खाद्यान्नों के जरिए न्यूनतम पोषण सहायता का प्रावधान और विभिन्न राज्यों में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना खाद्य सुरक्षा प्रणाली के दो उद्देश्य हैं। हालांकि गेहूं और चावल की आर्थिक लागत में निरंतर बढ़ोतरी हुई है परन्तु निर्गम मूल्य में 1 जुलाई 2002 से कोई परिवर्तन

सारणी 8.13 : न्यूनतम बफर स्टॉक मानदण्ड की तुलना में गेहूं तथा चावल का स्टॉक स्थिति

(लाख टन)

अवधि	गेहूं		चावल		योग	
	न्यूनतम बफर मानदण्ड	वास्तविक स्टॉक	न्यूनतम बफर मानदण्ड	वास्तविक स्टॉक	न्यूनतम बफर मानदण्ड	वास्तविक स्टॉक
जनवरी 2009#	112	182.12	138	175.76	250	357.88
अप्रैल	70	134.29	142	216.04	212	350.33
जुलाई	201	329.22	118	196.16	319	525.38
अक्तूबर	140	284.57	72	153.49	212	438.06
जनवरी 2010	112	230.92	138	243.53	250	474.45
अप्रैल	70	161.25	142	267.13	212	428.38
जुलाई*	201	335.84	118	242.66	319	578.50
अक्तूबर	140	277.77	72	184.44	212	462.21
जनवरी 2011	112	215.40	138	255.80	250	471.20
अप्रैल	70	153.64	142	288.20	212	441.84
जुलाई	201	371.49	118	268.57	319	640.06
अक्तूबर	140	314.26	72	203.59	212	517.85
जनवरी, 2012	112	256.76	138	297.18	250	553.94

स्रोत: खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग।

टिप्पणी: बफर मानदण्डों में 1 जून 2008 से 30 लाख टन गेहूं और 1 जनवरी 2009 से अति 20 लाख टन चावल का खाद्य सुरक्षा भण्डार शामिल है।

चित्र 8.9 चावल तथा गेहूं की किफायती लागत

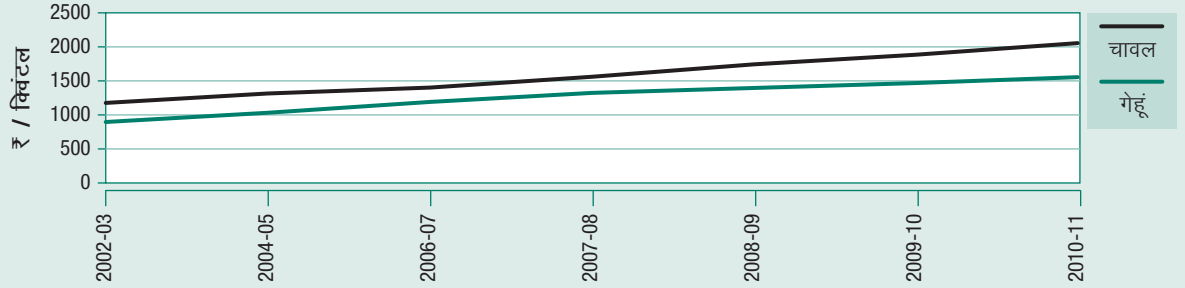

टिप्पणी: सामान्य तथा श्रेणी 'ए' चावल की भारांश औसत लागत एक साथ ली गयी है। लेवी चावल आनुषंगिकों के अधिप्राप्ति आनुषंगिक भारांश को भी लिया जा रहा है।

नहीं हुआ है। अत: सरकार टीपीडीएस, अन्य पोषण आधारित कल्याण योजनाओं और मुक्त बाजार योजनाओं के तहत वितरित किए जाने वाले खाद्यान्नों पर सब्सिडी की बड़ी और वृद्धिशील सब्सिडी प्रदान करना जारी रख रही है। खाद्य सब्सिडी बिल में विगत कुछ वर्षों में काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है जिससे सार्वजनिक राजकोष पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है। (सारणी 8.14 और (चित्र 8.10)। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वित हो जाने पर अधिक राजकोषीय दबाव की प्रत्याशा है (बॉक्स 8.4)।

सारणी 8.14 : सरकार द्वारा जारी खाद्य सब्सिडी की मात्रा

वर्ष	खाद्य सब्सिडी	वार्षिक वृद्धि
	(₹ करोड़)	(प्रतिशत)
2001-02	17,494.00	45.66
2002-03	24,176.45	38.20
2003-04	25,160.00	4.07
2004-05	25,746.45	2.33
2005-06	23,071.00	-10.39
2006-07	23,827.59	3.28
2007-08	31,259.68	31.19
2008-09	43,668.08	39.69
2009-10	58,242.45	33.38
2010-11	62,929.56	8.05

स्रोत: खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग।

टीपीडीएस और अन्य कल्याणकारी योजनाएं

8.69 अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे (बीपीएल) परिवारों को 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह का आवंटन किया जा रहा है। गरीबी रेखा से ऊपर जीवनयापन कर रहे (एपीएल) परिवारों को विभिन्न राज्यों में 15 किलो से 35 किलो का आवंटन किया जाता है। वर्ष 2011-12 के दौरान अब तक निम्नलिखित आवंटन किए गए हैं:

* एएवाई, बीपीएल और एपीएल परिवारों को शामिल कर 438. 65 लाख टन का सामान्य टीपीडीएस आवंटन किया गया।
* अब तक 123.67 लाख टन चावल और गेहूं का भी अतिरिक्त आवंटन किया गया है। इसके अंतर्गत (i) मई 2011 में बीपीएल परिवारों को 50 लाख टन और (ii) जून 2011 में एपीएल परिवारों को 50 लाख टन (iii) 174 निर्धनता/पिछड़े जिलों को 23.67 लाख टन (सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आवंटित) (iv) आपदा राहत आदि के लिए 3.31 लाख टन का आवंटन किया गया है।

चित्र 8.10 सरकार द्वारा जारी खाद्य सब्सिडियों की मात्रा

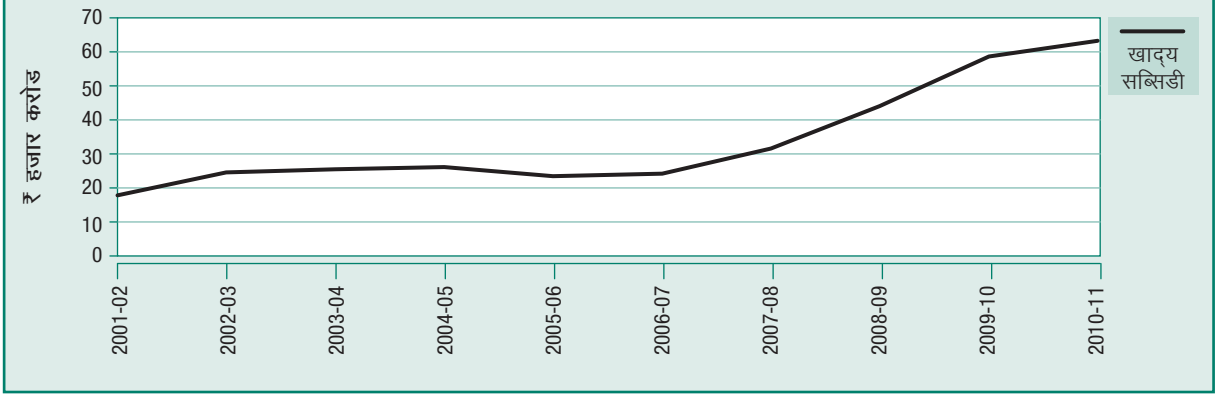

बॉक्स 8.4 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक 22 दिसम्बर, 2011 की लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। विधेयक के उपबंधों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को अधिकतम 3 रुपए प्रति किलो चावल, 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 1 रुपया प्रति किलो मोटा अनाज की दर पर प्रति व्यक्ति प्रति माह 7 किलो खाद्यान्न और सामान्य परिवारों को कम से कम 3 किलो खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह तथा गेहूं और मोटे अनाज के लिए एमएसपी का अधिकतम 50 प्रतिशत मूल्य और चावल के लिए व्यूत्पन्न एमएसपी पर मुहैया कराए जाने का प्रस्ताव है। इससे महिलाओं और बच्चों को पोषण सहायता और दीन-हीन और बेघर, आपातकालीन और आपदा प्रभावित और भूख से त्रस्त व्यक्तियों जैसे विशेष समूहों को भोजन मुहैया कराने के अलावा ग्रामीण जनसंख्या का 75 प्रतिशत (प्राथमिकता प्राप्त परिवारों का कम से कम 46 प्रतिशत सहित) और शहरी जनसंख्या के 50 प्रतिशत (प्राथमिकता प्राप्त परिवारों का कम से कम 28 प्रतिशत सहित) व्यक्ति लाभान्वित होंगे। गर्भवती ओर दूध पिलाने वाली महिलाएं भी 6 माह के लिए 1,000/रुपए प्रति माह मातृत्व लाभ प्राप्त करने की हकदार होंगी। खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में हकदार व्यक्तियों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा। विधेयक में टीपीडीएस के तहत सम्पूर्ण कम्प्यूटरीकरण, लाभार्थियों की अनन्य पहचान हेतु 'आधार' की विशेष सुविधा सहित खाद्यान्नों की घर पर सुपुर्दगी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का अनुप्रयोग जैसे सुधार कार्य हेतु प्रावधान भी किया गया है। पीडीएस संबंधी रिकार्डों का प्रकटन, सामाजिक लेखापरीक्षा और विस्तृत शिकायत निवारण तंत्र के अलावा सर्तकता समितियों की स्थापना सहित पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

* एकीकृत बाल विकास सेवाएं, अन्नपूर्णा आदि के तहत मध्याह्न भोजन योजना, गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम जैसी अन्य कल्याण योजनाओं के लिए 49.05 लाख टन आवंटित किया गया।
* अब तक चालू वर्ष के दौरान 614.69 लाख टन खाद्यान्न जारी किया गया है।

मुक्त बाजार बिक्री योजना (घरेलू) (ओएमएसएस (डी)

8.70 बफर स्टॉक बनाए रखने और टीपीडीएस और अन्य कल्याण योजनाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्यान्न स्टॉक मुहैया करने के अलावा एफसीआई भारत सरकार की ओर से समय-समय पर खुले बाज़ार में पूर्व निर्धारित मूल्यों पर गेहूं और चावल की बिक्री करता रहा है जिससे कि खुले बाजार के मूल्यों पर संतुलित प्रभाव हेतु, खाद्यान्नों की बाजार आपूर्ति को बढ़ाया जा सके।

पण्य वायदा बाजार

8.71 पण्य वायदा बाजार मूल्य खोज प्रक्रिया को आसान बनाता है और पण्य में मूल्य जोखिम प्रबंधन के लिए मंच प्रदान करता है। वर्तमान पण्य वायदा कारोबार का आयोजन पांच-राष्ट्रीय और 16 पण्य विशिष्ट क्षेत्रीय एक्सचेंजों के जरिए किया जा रहा है। अब तक की स्थिति के अनुसार 113 वस्तुओं को वायदा कारोबार के लिए अधिसूचित किया गया है जिनमे से 50 वस्तुओं का सक्रियता से कारोबार किए जाता है। पण्य वायदा बाज़ार में कारोबार की जाने वाली वस्तुओं में कृषि वस्तुएं, सोना-चांदी, ऊर्जा और आधार धातु उत्पादों का बड़ा योगदान है। वर्ष 2011 में पण्य वायदा बाजार में कारोबार के कुल मूल्य में विगत वर्ष की तुलना में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हुई जिसकी वजह वर्धित जागरुकता, नए कमोडिटी एम्सचेंजो की स्थापना, वैश्विक वस्तु मूल्यों में वृद्धि और उन्नत विनियमन रही।

8.72 वर्ष 2011-12 (जनवरी 2012 तक) के दौरान वस्तु समूहों में कारोबारी मूल्य के हिस्से में सोना-चांदी (57.7 प्रतिशत) का योगदान अधिकतम रहा, तत्पश्चात् ऊर्जा (15. 9 प्रतिशत), धातु (15.2 प्रतिशत) और कृषि वस्तुओं (11.2 प्रतिशत) का स्थान आता है। तथापि, परिमाण की दृष्टि से ऊर्जा में कारोबार का हिस्सा 57.5 प्रतिशत और तत्पश्चात् कृषि वस्तु (33.2 प्रतिशत), धातु (9.3 प्रतिशत), और सोना-चांदी (0.1 प्रतिशत) का स्थान आता है (सारणी 8.15)।

8.73 बाजार को सुदृढ़ करने और इसके आधार को व्यापक करने हेतु वायदा बाज़ार आयोग (एफएमसी) जो वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 के उपबंधों तहत पण्य वायदा कारोबार के लिए विनियामक है, ने वर्ष 2011 के दौरान कई पहले की हैं और जागरुकता कार्यक्रमों का संचालन किया है। वे कार्यक्रम इस प्रकार हैं, पण्य वायदा बाज़ार में कारोबार के नियम एवं शर्तों के बारे में 'जागो ग्राहक जागो' कार्यक्रम के तहत मीडिया प्रचार), डब्बा कारोबार/अवैध कारोबार के संबंध में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और दिल्ली राज्यों में पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम; किसानों पर मुख्य फोकस के साथ विभिन्न पणधारक समूहों के लिए एक व्यापक जागरुकता और क्षमता निर्माण कार्यक्रम। विनियामक मोर्चे पर एफएमसी ने पण्य वायदा बाजार विकास हेतु उपाए आरंभ किए जिनमें एक्सचेंजों के सदस्यों का नियमित आधार पर विनियामक व्यवस्था के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए अधिक प्रभावी निरीक्षण सुनिश्चित करना; लेखापरीक्षा कार्यों में सुधार हेतु एक मार्ग दर्शिका पुस्तिका प्रकाशित करना, ग्राहक कोड संशोधन और कारोबार के निष्पादन के लिए दंड संरचना विहित करना; तथा ग्राहकों के खातों के पृथक्करण हेतु-निदेश जारी करते हुए सोयाबीन/तेल के भावी सौदों के लिए अल्पावधि बचाव हेतु छूट प्रदान करना शामिल है।

सारणी 8.15 : पण्य वायदा बाजार में व्यापार

(व्यापार मात्रा लाख टन में, मूल्य करोड़ रु॰ में)

कॉमोडिटी	2009-10		2010-11		2011-12	(जनवरी 12 तक)
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
कृषि कमोडिटी	3991.21(39.3)	1217949(15.7)	4168(32.6)	1456390(12.2)	3878.45(33.2)	1695550.8 (11.2)
बुलियन	4.73(0.05)	3164152(40.8)	7.38(0.1)	5493892(46.0)	8.86(0.1)	8758384.3 (57.7)
धातु	982(9.7)	1801636(23.2)	1410(11.0)	2687673(22.5)	1081.10(9.3)	2311689.0 (15.2)
ऊर्जा	5163(50.9)	1577882(20.3)	7220.12(56.4)	2310959(19.3)	6714.96(57.5)	2423261.2 (15.9)
अन्य	2.12(0.02)	3134(0.04)	*0	29.04	*0.01	5.9
कुल	**10143**	**7764754**	**12805.57**	**11948942**	**11683.38**	**15188891.3**

स्रोत: उपभोक्ता विभाग।

टिप्पणी: प्रमाणित उत्सर्जन कटौती (सीईआर) की मात्रा, विद्युत, हीटिंग ऑयल तथा गैसोलाइन को अन्य वस्तुओं की कुल मात्रा में शामिल नहीं किया गया है।

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े कुल प्रतिशतता को दिखाते हैं।

दृष्टिकोण एवं चुनौतियां

8.74 कृषि और संबद्ध क्षेत्रों ने योजना प्रक्रिया के प्रारंभ से उत्पादन और उत्पादकता की दृष्टि से पर्याप्त प्रगति की है। क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया है, जिसके परिणामस्वरुप वर्ष 2010-11 में खाद्यान्न उत्पादन में 244.78 मिलियन टन का रिकार्ड स्तर देखा गया। तथापि, चुनौतियां समाप्त नहीं हुई हैं। वर्तमान पंचवर्षीय योजना में कृषि का विकास लक्ष्य से कम हुआ है। आपूर्ति के क्षेत्र में अड़चने हैं जिससे खाद्य एवं पोषण सुरक्षा हासिल करना एक चुनौती है। 4 प्रतिशत कृषि विकास वास्तविक रुप में हासिल करने हेतु इस क्षेत्र में चुनौतियों पर फोकस करने के लिए पर्याप्त प्रयास की आवश्यकता है।

8.75 विगत तीन दशक में खाद्यान्न क्षेत्र में गिरावट रही है। उत्पादन वृद्धि और अनुसंधान एवं विकास में पर्याप्त निवेश हेतु उपज में तीव्र सुधार की आवश्यकता है। उपज के पैरामीटरों में भारत अधिकांश फसल में वैश्विक स्तर से पीछे है। पिछले दशक में क्षेत्रों में बहुत अल्प वृद्धि और कई फसलों की आज में मामूली वृद्धि के साथ कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी एक चुनौती बनी हुई है। सम्पूर्ण दृष्टि से विचार कर कृषि अनुसंधान, विकास, प्रौद्योगिकी का प्रसार और कृषि निविष्टि जैसे गुणवत्ता बीज, उर्वरक, कीटनाशक और सिंचाई की व्यवस्था से आवश्यक उत्पादकता के महत्वपूर्ण स्तर को हासिल किया जा सकता है। लघु तथा सीमान्त किसानों की कृषि ऋण के औपचारिक स्रोतों से पहुंच अभी भी चुनौतीपूर्ण है, यद्यपि हाल के वर्षों में कृषि ऋण का प्रवाह बढ़ा है। मौजूदा कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों के कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वयन तथा मॉनीटरिंग को इष्टतम परिणामों हेतु सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

8.76 भारतीय किसान अधिकांशत: छोटे और सीमांत किसान होते हैं जिनकी भूमि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटी होती हैं। देश में कुछ वर्षों के दौरान खेत के औसत आकार में कमी आई है। इससे कृषि के यंत्रीकरण और कृषि कार्य से उत्पादक आय के सृजन में चुनौती आई है। कई भूमियों को मिलाकर कृषि कार्य करने से बेहतर मितव्ययिता होगी जिसके लिए पर्याप्त सुरक्षा के साथ पट्टा हेतु लागू भूमि कानून पर विचार किया जाना चाहिए।

8.77 क्रय शक्ति का उच्च स्तर अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य वस्तुओं की मांग बढ़ाता है। देश मे दुग्ध और अन्य दुग्ध उत्पाद, अंडा, कुक्कुट, मछली, मांस आदि का उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रयास बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। इन वस्तुओं की आपूर्ति मांग के अनुरुप नहीं बढ़ी है जिस वजह से इनके मूल्यों में बढ़ोत्तरी होती रही है।

8.78 खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी एक बड़ी चिन्ता का विषय रही है। पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु न केवल खाद्यान्नों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में वृद्धि करना महत्वपूर्ण है बल्कि आम आदमी की थाली में खाद्य वस्तुओं की सही मात्रा सुनिश्चित किया जाना भी महत्वपूर्ण है। बागवानी उत्पादों पर बल दिया जाना अपेक्षित है जिससे कि खाद्य वस्तुओं की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में बढ़ोतरी और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

8.79 भारतीय कृषि अभी भी मॉनसून पर निर्भर है इससे किसानों का जोखिम बढ़ जाता है। इससे बचाव के लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। भारतीय किसानों की मानसून पर निर्भरता को मुख्यतया सिंचाई सुविधाएं बढ़ाकर कम किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण बढ़ती

जलवायु संबंधी चरम घटनाओं से बीमा योजनाओं को तैयार करने की आवश्यकता है जो विभिन्न अस्थिर पैरामीटरों के सूचकांकों से सम्बद्ध है। बीमा नीति फ्रेमवर्क को परिवर्तित करने की आवश्यकता है जिसमें बीमित वस्तु, बीमाकर्ता और लोक नीति के सापेक्ष महत्व को शामिल किया जाएं जिससे कि इसके तहत जनसंख्या का एक बड़ा भाग आ सके।

8.80 भंडारण क्षमता देश के लिए एक प्रमुख समस्या है। पर्याप्त भंडारण सुविधा से फसल पश्च हानियों में निश्चित रूप से कमी आएगी। विशेषकर हमारे छोटे किसानों द्वारा आधुनिक कृषि उपकरणों और औज़ारों का उपयोग अभी भी संसाधनों की कमी की वजह से कम है। इससे कृषि क्षेत्र के विकास में व्यवधान होता है। कृषि क्षेत्र विशेषकर भंडारण संचार, सड़कें और बाज़ारों में अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना प्राथमिकता होनी चाहिए। इन आवश्यकताओं का तीव्र विकास सुनिश्चित करने में सरकारी निजी भागीदारी मॉडलों, जिसका कृषि क्षेत्र के विकास हेतु अत्यधिक महत्व है, सहायक हो सकते हैं।

8.81 सुधार हेतु अन्य क्षेत्र वास्तविक समय बाजार आसूचना का सृजन है और कृषि बाजार सुधार है। किसानों को अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को उनके उत्पादन पर अधिक प्रतिलाभ अनिवार्य है। किसानों को उनके उत्पादों के लिए बाजार कीमत प्राप्त होनी चाहिए। दक्ष आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना करना न केवल अनिवार्य वस्तुओं की उचित कीमतों पर पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है बल्कि यह इसलिए भी आवश्यक है कि उत्पादकों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त हो सके। अत: किसानों को बाजार से जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। दुग्ध क्षेत्र में सहकारी समितियों के सफल अनुभव को कृषि उत्पादों के मामले में आपूर्ति श्रृंखला के प्रबन्धन में और उत्पादकों को लाभकारी कीमत प्रदान करने में प्रयोग किया जा सकता है।

8.82 भारत में द्वितीयक खाद्य प्रसंस्करण का स्तर कई पश्चिमी देशों की तुलना में अत्यन्त कम है। आय और जनसंख्या में वृद्धि के साथ-साथ संबंधित खाद्य वस्तुओं की मांग के बढ़ने की संभावना है। इस बदलती मांग को पूरा करने और साथ ही किसानों की आय को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। तथापि, संसाधित खाद्य की मांग के बढ़ने की प्रत्याशा है। खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज श्रृंखला, संबंधित खाद्य वस्तुओं की हैंडलिंग और पैकेजिंग को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है।

8.83 पिछले कुछ वर्षों से विभिन्न फसलों की एमएसपी में काफी वृद्धि हुई है। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना आवश्यक समझा जाता है। साथ ही साथ एमएसपी उत्पाद के आधार पर मूल्य का संकेत देता है। कृषि उत्पादकों और उपभोक्ताओं के कल्याण को एक साथ ध्यान में रखना चुनौती की बात है। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में लघु और सीमांत किसानों की कृषि बाजार में सीधी पहुंच का प्रभाव एमएसपी की वृद्धि पर वह सवालिया निशान लगाता है कि एमएसपी से वास्तव में ऐसे किसानों को लाभ पहुंच रहा है। पिछले कुछ वर्षों में चावल और गेहूं की रिकॉर्ड अधिप्राप्ति से चावल और गेहूं के बफर स्टॉक और सामरिक महत्व के भंडार के निर्माण में सहायता मिली है। हालांकि, इस प्रक्रिया में खाद्य सब्सिडी के रूप में काफी बड़ी लागत आती है। दक्ष खाद्य स्टॉक प्रबंधन और समय पर स्टॉकों की ऑफलोडिंग के मुद्दे पर अतिशीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता हैं।

8.84 हमें कृषि क्षेत्र में चुनौतियों का सामना व्यापक और समेकित प्रयासों के जरिए करने की आवश्यकता है। उक्त प्रयासों में कृषि उत्पादन और खाद्यान्न की उत्पादकता के साथ ही अधिक मूल्य देने वाली फसलों में सुधार, ग्रामीण अवसंरचना का विकास, सिंचाई के क्षेत्र में नए सिरे से बल, समुचित विपणन अवसंरचना और पर्यावरणिक महत्व पर उचित ज़ोर देने के अलावा अनुसंधान एवं विकास में निवेश सहायता कार्य को शामिल करना होगा। इन प्रयासों से कृषि क्षेत्र में जान आएगी और अर्थव्यवस्था का समावेशी विकास होगा।